दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

उद्घोषित : 11.07.2023

आ.प्र.अ. (मू.प.) 347/2012 और सि.वि.आ. 15602/2013, 20920/2022, 47492/2022

अजीत सिंह और अन्य .....अपीलार्थीगण

द्वारा: श्री पारस कुहाड़, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ श्री मनु अग्रवाल, श्री जितिन चतुर्वेदी, श्री शौइब हुसैन और श्री शुभम बुधिराजा, अधिवक्ता।

न्यासी के लिए श्री कीर्तिमान सिंह और सुश्री श्रेया मेहरा, अधिवक्ता।

बनाम

राज्य और अन्य .....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री ऋषिकेश कुमार, अति.स्था.अधि. रा.रा.क्षे.दि.स. के साथ श्री आदित्य राज, श्री मुहम्मद जैद, श्री सुधीर कुमार शुक्ला और सुश्री शीनू प्रिया, अधिवक्तागण
श्री टी.के. गंजू और डॉ. मनीष सिंघवी, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री

प्रतीक के.चड्ढा, अति.महा.अधि. राजस्थान राज्य, श्री श्रीकर एचूरी, श्री अर्पित प्रकाश और श्री वृषांक सिंघानिया के साथ, राजस्थान राज्य के अधिवक्ता।

श्री संदीप सेठी, वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री फरेहा ए. खान, सुश्री नियति कोहली और श्री ऋषभ पारिख, आर-3 के अधिवक्ता।
श्री तुषार सन्नू, रा.रा.क्षे.दि.स. के लिए अति.स्था.अधि.।

आ.प्र.अ. (मू.प.) 348/2012, सि.वि.आ. 46546-47/2022 और 3579/2023
परमेश्वर प्रसाद (मृत्यु उपरांत) ..... अपीलार्थी

द्वारा: श्री संदीप सेठी, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री फरेहा ए. खान, सुश्री नियति कोहली और श्री ऋषभ पारिख, अधिवक्तागण।

बनाम

राज्य और अन्य .....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री टी.के. गंजू और डॉ. मनीष सिंघवी, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री प्रतीक के. चड्ढा, अति.महा.अधि.

राजस्थान राज्य, श्री श्रीकर एचूरी और श्री वृशांक सिंघानिया, राजस्थान राज्य के अधिवक्तागण। श्री देवेन्द्र राघव और सुश्री राजेश्ववी हस्तक्षेप करने वालों के लिए अधिवक्तागण

श्री तुषार सन्नू, रा.रा.क्षे.दि.स. के लिए अति.स्था.अधि..।

आ.प्र.अ.(मू.प.) 211/2013

राजस्थान राज्य ..... अपीलार्थी

द्वारा: श्री टी.के. गंजू और डॉ. मनीष सिंघवी, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री प्रतीक के.चड्ढा, अति.महा.अधि. राजस्थान राज्य, श्री श्रीकर एचूरी, श्री अर्पित प्रकाश और श्री वृषांक सिंघानिया, राजस्थान राज्य के अधिवक्तागण।

बनाम

द्वारा: श्री संदीप सेठी, वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री फरेहा ए. खान, सुश्री नियति कोहली और श्री ऋषभ पारिख, आर-5 के अधिवक्तागण।

कोरमः

माननीय न्यायमूर्ति श्री नज्मी वज़ीरी
माननीय न्यायमूर्ति श्री विकास महाजन

निर्णय

न्या. नज्मी वज़ीरी,

तथ्यः

1. ये तीन अपीलें दिनांक 03.07.2012 को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णयों को चुनौती देती हैं जिसमें खेतड़ी के स्वर्गीय राजा बहादुर सरदार सिंह ('वसीयतकर्ता') द्वारा निष्पादित अंतिम वसीयत और वसीयतनामा दिनांक 30.10.1985 की प्रोबेट की मांग करने वाले अपीलार्थी के वसीयतनामा मामला सं. 26/1987 को खारिज कर दिया गया था। जबकि आ.प्र.अ. (मू.प.) 347/2012 खेत्री न्यास के न्यासियों द्वारा दायर किया गया है, वसीयत, आ.प्र.अ. (मू.पक्ष) 348/2012 के तहत लाभार्थी वसीयत के एकमात्र जीवित निष्पादक द्वारा दायर किया गया है, जिसमे दोनों याचिका को खारिज करने की चुनौती देते हैं। राजस्थान राज्य द्वारा दायर आ.प्र.अ. (मू.पक्ष) 349/2012 में निर्णय को सीमित हद तक चुनौती दी गई है जिसमें खेतड़ी न्यास के न्यासियों आ.प्र.अ. (मू.पक्ष) (347/2012) में अपीलकर्ता) को पक्षकार बनाने की अनुमति दी गई थी।

विवाद की पृष्ठभूमि

2. वसीयतकर्ता एक सुशिक्षित व्यक्ति थे जिन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और इंग्लैंड से बार-एट-लॉ पूरा किया। वे संसद सदस्य

(राज्यसभा) होने के साथ-साथ लाओस में भारत के राजदूत भी थे। इस तथ्य से अवगत होने के कारण कि उनके पास कोई कानूनी उत्तराधिकारी ("वि.प्र.".) नहीं था, वसीयतकर्ता ने वित्त और कानून के क्षेत्र के योग्य व्यक्तियों के साथ उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी संपत्ति के प्रबंधन के विषय में विचार-विमर्श किया। ऐसे दो पेशेवर थे श्री पी.एन. खन्ना, जो कई वर्षों तक वसीयतकर्ता के चार्टर्ड एकाउंटेंट थे और दूसरे थे श्री डेनियल लतीफी, वरिष्ठ अधिवक्ता, जो वसीयतकर्ता के व्यक्तिगत मित्र थे। श्री डेनियल लतीफी द्वारा उनकी वसीयत का मसौदा तैयार किया गया था और दो प्रमाणक गवाहों, श्री पी.एन. खन्ना (अभि.सा.1) और श्री आर.के. सिंह (प्र.सा.8) की उपस्थिति में 30.10.1985 को तीस हजारी न्यायालय दिल्ली में, दो समान समकक्षों में निष्पादित किया गया था जिन्होंने (जो उसके साक्षी बने)और उसे एक सीलबंद लिफाफे में रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किया गया। सीलबंद लिफाफे पर निम्नलिखित पाठ वसीयतकर्ता श्री पी.एन. खन्ना, श्री आर.के. सिंह और पंजीयक दिल्ली के हस्ताक्षर के साथ अंकित था। इसकी प्रतिलिपि निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत की गई हैः

मुहरबंद लिफाफे की टाइप की गई प्रतिलिपिः(प्रतिस्थापित किया जाए)

—खेत्री के राजा बहादुर सरदार सिंह के पुत्र राजा बहादुर अमर सिंह की वसीयत, 5, सरदार पटेल रोड, खेत्री हाउस, नई दिल्ली

— राजा बहादुर सरदार सिंह द्वारा जमा की गई वसीयत के मुहरबंद लिफाफे की पहचान श्री पी.एन. खन्ना पुत्र स्व. भारत

राम निवासी 14/15, कनॉट प्लेस, उत्तर दिल्ली और श्री आर.के. सिंह, अधिवक्ता द्वारा की गई है।

केवल वसीयत का मुहरबंद लिफाफा और कोई मोनोग्राम नहीं है|

हस्ताक्षरित
30.10.11
(राजा बहादुर सरदार सिंह)

(जी.के. दीक्षित)
हस्ताक्षरित
(पी.एन. खन्ना)
हस्ताक्षरित
(आर.के. सिंह)
अधिवक्ता''

मेरी उपस्थिति में सीलबंद किया गया|

हस्ताक्षरित
अपठनीय
2/3/95

मुहरबंद लिफाफे की टाइप की गई प्रतिलिपिः(प्रतिस्थापित किया जाए)

—खेत्री के राजा बहादुर सरदार सिंह के पुत्र राजा बहादुर अमर सिंह की वसीयत, 5, सरदार पटेल रोड, खेत्री हाउस, नई दिल्ली

— राजा बहादुर सरदार सिंह द्वारा जमा की गई वसीयत के मुहरबंद लिफाफे की पहचान श्री पी.एन. खन्ना पुत्र स्व. भारत

राम निवासी 14/15, कनॉट प्लेस, उत्तर दिल्ली और श्री आर.के. सिंह, अधिवक्ता द्वारा की गई है।

केवल वसीयत का मुहरबंद लिफाफा और कोई मोनोग्राम नहीं है|

हस्ताक्षरित
30.10.11
(राजा बहादुर सरदार सिंह)

(जी.के. दीक्षित)
हस्ताक्षरित
(पी.एन. खन्ना)
हस्ताक्षरित
(आर.के. सिंह)
अधिवक्ता"

3. दिनांक 30.10.1985 को अंतिम वसीयत और वसीयतनामा जैसा कि लिफाफे से प्राप्त किया गया है, निम्नानुसार हैः

यह मेरी, खेतड़ी के राजा बहादुर सरदार सिंह की आखिरी वसीयत और वसीयतनामा है, उम्र 65 वर्ष, निवास सं. 5, सरदार पटेल रोड, दिल्ली, 110021

और मैं एतद्द्वारा अपनी सभी पिछली वसीयतें और कोडिसिल रद्द करता हूँ।

जैसा कि

क. मैं भारत का नागरिक हूं, हिंदू उत्तराधिकार कानून के अधीन हूं, और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम और अन्य कानूनों के उचित प्रावधानों के

तहत, यह वसीयत बनाने और इसमें न्यास बनाने के लिए पूरी तरह सक्षम हूं।

ख. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 118 में उल्लिखित वर्ग में मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। फिर भी, किसी भी झूठे दावे से बचने के लिए, यह कानून द्वारा प्रदान किए गए उचित प्राधिकार के अधीन है।

ग. जैसा कि मेरे संपत्ति कर रिटर्न से पता चलता है मेरे पास अचल और चल संपत्ति है।

अब

1. मैं इसके द्वारा निम्नलिखित व्यक्ति को इसके निष्पादक के रूप में संयुक्त रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त करता हूं, बशर्ते कि वे सर्वसम्मति से समय-समय पर अपने सदस्यों में से किसी एक को प्रबंध निष्पादक के रूप में नियुक्त कर सकें:

(क) लेडी ओल्गा मैनिंग, हैम्पटन कोर्ट पैलेस, ईस्ट मोलेसी, सरे
(ख) मिस्टर डेनियल लतीफी, सेनि ए-20 नीति बाग, नई दिल्ली
(ग) श्री रोमेश थापर, कौटिल्य मार्ग, नई दिल्ली 110021
(ड) श्री परमेश्वर प्रसाद, एमजीआर खेतड़ी इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन (पी) लिमिटेड, 1/9 रानी झाँसी रोड, नई दिल्ली 110005

2. मैं उक्त निष्पादकों को इसके द्वारा बनाए गए न्यास का न्यासी नियुक्त करता हूं।

3. मैं इसके द्वारा अपने उक्त निष्पादकों और ट्रस्टियों को वसीयत करता हूं, (अपनी ऐसी विशिष्ट परिसंपत्तियों या संपत्तियों को छोड़कर, जिन्हें मैं यहां से हटा सकता हूं, कोई विशिष्ट विरासत है जिसे मैं इसके बाद किसी भी व्यक्ति के पक्ष में बना सकता हूं। वसीयत या इसके किसी संहिता द्वारा जो मैं बना सकता हूं) मेरी सभी संपत्तियां, चल या अचल, कहीं भी, विश्वास पर नीचे दी गई हैं।

4. न्यास का नाम खेतड़ी न्यास होगा|

5. यहां न्यास हैं:-

शिक्षा को बढ़ावा देने का मतलब है विज्ञान, साहित्य और कला के अध्ययन की उन्नति, भारत या विदेश में अध्ययन के लिए योग्य छात्रों को

छात्रवृत्ति प्रदान करना, पुस्तकालयों, वाचनालयों, स्कूलों, अकादमियों, प्रयोगशालाओं, अनुसंधान केंद्र या अन्य संस्थान की स्थापना करना, जैसा कि निधि अनुमति दे और न्यासी उचित समझें।

बशर्ते कि न्यासी उच्च न्यायालय की मंजूरी से इस न्यास की वस्तुओं को बदलने, बढ़ाने या प्रतिबंधित करने में सक्षम होंगे।

6. निष्पादक और न्यासी इन ट्रस्टों को अपनी सेवाओं के लिए पारिश्रमिक के हकदार होंगे, जो कि वे प्रति माह 300 से अधिक नहीं तय कर सकते हैं। उचित परिस्थितियों में, इस संबंध में आवेदन करने पर, उच्च न्यायालय की मंजूरी से इसे बढ़ाया जा सकता है। लेडी मैनिंग जब भी भारत में होंगी, उन्हें खेतड़ी हाउस नई दिल्ली, खेतड़ी हाउस जयपुर और सुख महल खेतड़ी के बीच मुफ्त निवास और यात्रा की हकदार होगी, उन व्यवस्थाओं और सुविधाओं के साथ जैसी उन्होंने मेरे जीवनकाल में प्राप्त की थीं।

7. न्यासियों की संख्या किसी भी समय तीन से कम या पाँच से अधिक नहीं होगी। किसी न्यासी की मृत्यु, त्यागपत्र या अक्षमता की स्थिति में, जीवित या बचे हुए न्यासियों को इस संबंध में एक न्यास या न्यासी नियुक्त करने का अधिकार होगा। बशर्ते कि यहां ऊपर अनुच्छेद 1 में नामित लेडी मैनिंग की मृत्यु, इस्तीफे या अक्षमता पर, माननीय फ्रांस(----मूलपाठ अनुपस्थित–) सिंह, पुत्र लॉर्ड और लेडी नॉर्थब्रुक, ईस्ट स्ट्रैटन हाउस, ईस्ट स्ट्रैटन, विनचेस्टर, हैंस्ट, मंज़िल सं. 26, 333 किंग्स रोड लंदन हा.सा.3 निष्पादक और न्यास के रूप में उनका स्थान लेगा।

इसकी गवाही के लिए मैंने आज तेरह अक्टूबर 1985 को नई दिल्ली में अपने परिचित गवाह की उपस्थिति में अपना हाथ रखा है, जिसका नाम पता और हस्ताक्षर नीचे दिया गया है।

हस्ताक्षरित

खेत्री के राजा बहादुर सरदार सिंह

गवाह

1. हस्ताक्षरित
पी.एन.खन्ना
निवासी 14/15 ऍफ़ कनॉट प्लेस
नई दिल्ली

2. हस्ताक्षरित
आर.के.सिंह (अधिवक्ता)
61, सुप्रीम कोर्ट,
नई दिल्ली

4. वसीयतकर्ता ने अपनी पूरी संपत्ति, चल और अचल संपत्ति, जैसा कि उसके धन कर रिटर्न से पता चलता है, 30.10.1985 की विल और वसीयत द्वारा बनाए गए 'खेत्री न्यास' नामक एक न्यास को लिखी थी, जिसके लिए उसने चार निष्पादकों और न्यासियों को नियुक्त किया था अर्थात् : (i) हैम्पटन कोर्ट पैलेस, ईस्ट मोलेसी, सरे की लेडी ओल्गा मैनिंग; (ii) श्री डेनियल लतीफी, वरिष्ठ अधिवक्ता, ए-20, नीति बाग, नई दिल्ली; (iii) श्री रोमेश थापर, कौटिल्य मार्ग, नई दिल्ली; और (iv) श्री परमेश्वर प्रसाद, प्रबंधक खेतड़ी इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन (पी) लिमिटेड 1/9 रानी झाँसी रोड, नई दिल्ली। वसीयत की गई संपत्ति खेत्री न्यास में निहित की जानी थी और इसका उपयोग बड़े पैमाने पर शैक्षिक अनुसंधान और वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए किया जाना था। न्यासियों को न्यास के प्रति अपनी सेवाओं के लिए प्रति माह 3,000 रुपये से अधिक पारिश्रमिक बढ़ाने के लिए उच्च न्यायालय की मंजूरी लेने का अधिकार भी दिया गया था।

5. विल के कथन ख के अवलोकन से पता चलता है कि वसीयतकर्ता इस बात से अवगत था कि यदि वह अपनी इच्छा के अनुसार इसके उपयोग की

व्यवस्था नहीं करता तो उसकी संपत्ति अच्छी तरह से बर्बाद हो सकती थी या अन्यथा एस्केट के कानून के तहत राज्य के पास चली जाती। वसीयतकर्ता भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 ('उत्तराधिकार अधिनियम') की धारा 118 की आवश्यकता के प्रति भी सचेत था जो इस प्रकार है:

> ***"118. धार्मिक या धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए वसीयत।–*** *किसी भी व्यक्ति को, जिसका नेफ्यू या नीस या कोई करीबी रिश्तेदार है, किसी भी संपत्ति को धार्मिक या धर्मार्थ उपयोग के लिए वसीयत करने का अधिकार नहीं होगा, सिवाय उसकी मृत्यु से कम से कम बारह महीने पहले निष्पादित विल के, और जीवित व्यक्तियों की वसीयतों की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए कानून द्वारा प्रदान किए गए किसी स्थान पर उसके निष्पादन से छह महीने के भीतर जमा किया जाएगाः*
>
> *[बशर्ते कि इस धारा की कोई भी बात किसी पारसी पर लागू नहीं होगी।]"*

6. यह इस संदर्भ में है कि वसीयतकर्ता ने, स्पष्ट रूप से कानूनी सलाह पर, विल और वसीयत के कथन ख में कहा है *कि "मेरे पास भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 118 में उल्लिखित वर्ग के सापेक्ष में कोई संबंधी नहीं है। फिर भी, किसी भी झूठे दावे से बचने के लिए, मेरा इरादा यह है कि इस वसीयत को कानून द्वारा प्रदान किए गए उचित प्राधिकरण के साथ सुरक्षित अभिरक्षा में जमा किया जाए।"*

7. अपीलार्थी के अनुसार, विल का निष्पादन तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली में पंजीयक के कार्यालय में दो गवाहों श्री पी.एन. खन्ना (अभि.सा.1) और श्री आर.के. सिंह (प्र.सा.8) की उपस्थिति में किया गया था। श्री आर.के. सिंह ने

1981 से 1986 तक वरिष्ठ अधिवक्ता श्री डेनियल लतीफी के चैंबर में काम किया था। श्री आर.के. सिंह (प्र.सा.8) ने 1974 में अपनी कानून की परीक्षा उत्तीर्ण की थी और 1977 में एक अधिवक्ता के रूप में नामांकित हुए थे।

8. विल के निष्पादन के बाद वसीयतकर्ता ने यूनाइटेड किंगडम में रहने वाले न्यासियों और निष्पादकों की भूमिका सहित कुछ पहलुओं को स्पष्ट करने के लिए दो समान समकक्षों में दिनांक 07.11.1985 को एक कोडिसिल निष्पादित किया। कोडिसिल को वसीयतकर्ता द्वारा उन दो गवाहों अर्थात् श्री पी.एन. खन्ना (अभि.सा.1) और श्री आर.के. सिंह (प्र.सा.8) की उपस्थिति में दिनांक 30.10.1985 को निष्पादित किया गया था। उक्त दो गवाहों ने वसीयतकर्ता और एक-दूसरे की उपस्थिति में कोडिसिल पर अपने हस्ताक्षर किए। मूल विल और वसीयत पंजीयक के पास जमा किया गया था। मूल डुप्लिकेट वसीयत और दो विधिवत निष्पादित कोडिसिल के समान समकक्षों को वसीयतकर्ता द्वारा श्री लतीफी को सौंप दिया गया था। दिनांक 28.01.1987 को श्री आर.के. सिंह का निधन हो गया। कुछ दिनों बाद, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री डेनियल लतीफी ने वसीयत और नियम के न्यासी और निष्पादक श्री रोमेश थापर और श्री परमेश्वर प्रसाद (अभि.सा.2) दोनों को वसीयत के बारे में सूचित किया और श्री परमेश्वर प्रसाद (अभि.सा.2) की उपस्थिति में मूल कोडिसिल के साथ विल और वसीयत के समान डुप्लिकेट समकक्ष श्री रोमेश थापर को सौंप दिया।

<u>वसीयतनामा वाद 26/1987</u>

9. वसीयत और नियम के तहत नियुक्त किए गए तीन निष्पादकों द्वारा विल और वसीयत की धारा 276 के तहत विल और वसीयतनामा के प्रोबेट के अनुदान की मांग करने वाली एक याचिका (वसीयतनामा वाद संख्या 26/1987) दायर की गई थी (और केवल श्री परमेश्वर प्रसाद (अभि.सा.2) द्वारा नहीं)। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 ("साक्ष्य अधिनियम") की धारा 68 की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रमाणक गवाहों में से एक, श्री पी. एन. खन्ना (अभि.सा.1) के शपथ पत्र द्वारा प्रोबेट याचिका का विधिवत समर्थन किया गया था। श्री डेनियल लतीफी, जिन्हें वसीयत के तहत न्यासी और निष्पादक के रूप में नियुक्त किया गया था, ने अपने साथी निष्पादकों और न्यासियों को संबोधित दिनांक 15.02.1987 को पत्र द्वारा निष्पादक और न्यासी के रूप में इस्तीफा दे दिया।

10. बाद के वर्षों में, विल और वसीयत दिनांक 30.10.1985 के तहत नियुक्त तीन निष्पादकों और न्यासियों का निम्नलिखित तिथियों को निधन हो गयाः-

(i) हैम्पटन की लेडी ओल्गा मैनिंग का निधन 17.09.1993 को हुआ;

(ii) श्री रोमेश थापर का निधन सितंबर, 1987 को हुआ; और

(iii) श्री परमेश्वर प्रसाद (अभि.सा.2) का निधन 09.03.2003 को हुआ।

आ.प्र.अ. (मू.प.) सं.348/2012 में अपीलार्थी लॉर्ड नॉर्थब्रुक एकमात्र जीवित निष्पादक बने रहे। इसलिए, वसीयतकर्ता की बड़ी संपत्ति को ध्यान में रखते हुए, प्रोबेट न्यायालय ने लॉर्ड नॉर्थब्रुक से यह पता लगाने के लिए 25.09.2004 को पूछताछ किया कि क्या वह एक निष्पादक के रूप में अपने कानूनी दायित्वों का निर्वहन करने के लिए तैयार थे और सकारात्मक रूप से अपना बयान दर्ज किया। लॉर्ड नॉर्थब्रुक खेत्री न्यास के न्यासी भी हैं।

11. आ.प्र.अ. (मू.प.) 166/1996 में दिनांक 08.11.1996 के एक आदेश द्वारा राजस्थान राज्य को एक पक्ष-प्रत्यर्थी के रूप में जोड़ा गया था। आदेश में राजस्थान राज्य की रियायत दर्ज की गई कि वह किसी भी साक्ष्य से प्रति-परीक्षा करने की कोशिश नहीं करेगा और अभिलेख पर सामग्री के आधार पर प्रस्तुतियाँ करेगा।

12. हालांकि विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष, राजस्थान राज्य ने उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 276 और 283(3) की आवश्यकताओं का पालन न करने पर आपत्ति जताई थी लेकिन राजस्थान राज्य द्वारा इस विवाद को खारिज करने वाले आक्षेपित आदेश के निष्कर्ष को चुनौती देने वाली अपनी अपील में कोई आधार नहीं उठाया गया है और न ही इस संबंध में प्रस्तुतियाँ की गई हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि राजस्थान राज्य ने निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया है और इस प्रकार उन पर विचार नहीं किया जा रहा है।

13. तथ्य हालांकि यह है कि उद्धरण समाचार पत्र "द स्टेट्समैन" दिनांक 23.03.1987 में प्रकाशित किए गए थे जिसमें कहा गया था कि वसीयतकर्ता की निर्वसीयत मृत्यु हो गई थी; सात व्यक्तियों ने प्रोबेट के अनुदान पर अपनी आपत्तियां दायर की थीं। राजस्थान राज्य प्रोबेट याचिका विचाराधीनता होने से अवगत था क्योंकि उसने राजस्थान एस्चीट विनियमन अधिनियम, 1956 के प्रावधानों को लागू किया था और धारा 6(1)((ख) के तहत एक अधिसूचना जारी की थी। इसलिए, उसके पास लंबित प्रोबेट याचिका के बारे में पर्याप्त सूचना और जानकारी थी और अधिनियम की आवश्यकता पूरी हो गई थी।

14. इनमें से चार विरोधियों की कार्यवाही के दौरान मृत्यु हो गई। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 ("सि.प्र.सं.") के आदेश XXIII नियम 1 के तहत न्यायालय द्वारा दी गई स्वतंत्रता के अनुसार शेष तीन आपत्तियों को अंततः वापस ले लिया गया।

<u>आक्षेपित आदेश</u>

15. प्रोबेट याचिका को अन्य बातों के *साथ-साथ* विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि यह साबित नहीं हुआ था किः (i) वसीयतकर्ता और प्रमाणक गवाहों ने विल पर हस्ताक्षर किए थे और एक ही समय पर एक-दूसरे की उपस्थिति में, (ii) श्री आर.के. सिंह (प्र.सा.8) की गवाही को ध्यान में रखते हुए आसपास की संदिग्ध परिस्थितियाँ स्थापित हुईं जिन्होंने यह बयान दिया था कि उन्होंने वसीयतकर्ता को विल पर हस्ताक्षर

करते नहीं देखा था और (iii) कि वसीयतकर्ता के निजी सहायक गोकुल आनंद को गवाह के रूप में नहीं बुलाया गया था।

16. विद्वान एकल न्यायाधीश ने निर्णय के पैरा 101 में अपने निष्कर्षों का सारांश दिया जिसे उपयोगी रूप से नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता हैः

क. याचिकाकर्ता वसीयत और कोडिसिल को साबित करने में विफल रहे, क्योंकि अभि.सा.1, श्री पी.एन. खन्ना की गवाही प्र.सा.8, श्री आर.के. सिंह की गवाही के विपरीत है, जो झूठ बोल के लाभ उठाने के लिए खड़े नहीं हैं।

ख. अभि.सा.3 श्री डेनियल लतीफी की गवाही, वसीयतकर्ता और दो प्रमाणित गवाहों द्वारा वसीयत पर हस्ताक्षर करने की तारीख और स्थान के बारे में अभि.सा.2, श्री परमेश्वर प्रसाद (मृतक के बाद से तीन मूल याचिकाकर्ताओं में से एक) की गवाही का खंडन करती है।

ग. वसीयतकर्ता के निजी सहायक श्री गोकुल आनंद को पेश न करना उत्सुकता और संदिग्ध है और इसलिए दिए गए कारण (कि इससे कार्यवाही में देरी होगी) आश्वस्त करने वाले नहीं हैं। वह सबसे महत्वपूर्ण गवाहों से एक थे, और उनकी गवाही ने विल पर हस्ताक्षर करने के स्थान के बारे में सभी संदेहों को दूर कर दिया होता।

घ. विल अधूरी है और इसमें इस बात का विवरण नहीं है कि किन संपत्तियों को वसीयत किया जा रहा है।

ङ. अभि.सा.3, श्री लतीफी की गवाही से संकेत मिलता है कि उन्होंने विल पर हस्ताक्षर किए थे परंतु उनके हस्ताक्षर वाली ऐसी कोई विल पेश नहीं की गई है। यह प्र.सा.8, श्री आर.के. सिंह की गवाही को विश्वसनीयता दिलाता है कि उन्होंने कुलसचिव के कार्यालय में 5, सरदार पटेल मार्ग, नई दिल्ली में दिनांक 29.10.1985 को विल पर हस्ताक्षर किए न कि दिनांक 30.10.1985 को पंजीयक के कार्यालय में। यह प्र.सा.8 की गवाही को और विश्वसनीयता दिलाता है कि उन्होंने विल पर हस्ताक्षर अभि.सा. 2 की उपस्थिति में किए थे न कि वसीयतकर्ता की। संभावनाओं की प्रधानता पर विल उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 और साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के संदर्भ में साबित नहीं हुई है।

च. अभि.सा.1 की गवाही अभि.सा.3 की उपस्थिति का खुलासा नहीं करती है जिसने कहा कि वह वसीयतकर्ता के मित्र के रूप में मौजूद था न कि अपनी पेशेवर क्षमता में। अभि.सा.1 की तुलना में अभि.सा.3 की गवाही अधिक बेहतर है। प्र.सा.8 ने अन्य बातों के *साथ-साथ* अभिसाक्ष्य किया है कि उसने कभी वसीयतकर्ता को नहीं देखा है। इस प्रकार, न तो विल, और न ही कोडिसिल पर

प्र.सा. 8 की उपस्थिति में वसीयतकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जा सकते थे जो की प्रमाणित करने वाले गवाहों में से एक है।

छ. विभिन्न विरोधियों के पीछे हटने के कारण अस्पष्ट हैं, जिनसे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया था।

ज. विल मूल रूप में प्रस्तुत नहीं की गई थी, और न ही प्रदर्शित की गई थी। डुप्लिकेट प्रति प्रस्तुत की गई थी। विल और जिस लिफाफे में इसे मुहरबंद किया गया था उस पर अलग-अलग स्याही द्वारा प्र.सा.8 के हस्ताक्षर हैं, जो दर्शाता है कि उन पर एक ही समय पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे। अभि.सा.1 ने अभिसाक्ष्य दिया है कि हो सकता है कि उसने विल की दो से अधिक प्रतियों पर हस्ताक्षर किए हों। संभावनाओं की प्रधानता पर, विल और कोडिसिल साबित नहीं हुए हैं।

<u>पक्षों की दलीलें:</u>

17. राजस्थान राज्य ने आक्षेपित आदेश का बचाव किया और अन्य बातों के *साथ-साथ* प्रस्तुत किया कि आक्षेपित आदेश ने गवाही को सही ढंग से खारिज कर दिया है क्योंकिः (i) कथित विल को लेकर विवाद और संदेह है; (ii) यह उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 89 के तहत अनिश्चितता के लिए शून्य है;

(iii) खेत्री न्यास पंजीकृत नहीं था; (iv) विल उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 के अनुसार साबित नहीं हुई है; (v) श्री पी.एन. खन्ना की गवाही पर भरोसा नहीं किया जा सकता है और कथित विल उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63(ग) की कसौटी पर खरी नहीं उतरती है; (vi) श्री गोकुल आनंद को पेश नहीं करने के लिए याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए; (vii) पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 42 और 43 के तहत पंजीकरण के लिए विल जमा करना, साक्ष्य अधिनियम की धारा 71 के तहत विल के प्रमाण का एक वैकल्पिक तरीका नहीं हो सकता है और उपरोक्त धारा के तहत विल को जमा करने से विल के निष्पादन का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

18. अपनी स्वयं की अपील में, राजस्थान राज्य ने न्यासियों द्वारा दायर आवेदन को पक्ष-प्रत्यर्थी के रूप में शामिल करने की अनुमति देने के आक्षेपित आदेश को सीमित हद तक चुनौती दी है। हालाँकि इसके समर्थन में कुछ आधार उठाए गए थे कि क्या न्यासियों या न्यास को जांच की मांग करने वाली याचिका में पक्षकार-प्रत्यर्थी बनाया जा सकता है क्योंकि पूरे आक्षेपित आदेश को निष्पादक (आ.प्र.अ. (मू.पक्ष). 348/2012) की अपील पर अलग कर दिया जाएगा, यह न्यायालय इस मुद्दे पर प्रवेश करना उचित नहीं समझती है कि क्या न्यासी/न्यास अर्थात् विल का अंतिम लाभार्थी, उसकी जांच की मांग

करने वाली याचिका में एक आवश्यक या उचित पक्षकार होता है जब याचिकाकर्ता द्वारा कोई आपत्ति नहीं उठाई जाती है।

19. (आ.प्र.अ. (मू.पक्ष). 347/2012 और 348/2012 में अपीलार्थियों ने दोनों में आक्षेपित आदेश को इस हद तक चुनौती दी है कि उसने प्रोबेट याचिका को खारिज कर दिया है। उन्होंने अन्य बातों के *साथ-साथ* तर्क दिया कि (i) आक्षेपित आदेश स्वयं को इस आकलन तक सीमित करने में विफल रहा कि क्या विल और कोडिसिल का निष्पादन किया गया था और कानून के संदर्भ में साबित किया गया था इसके बजाय यह विभिन्न पूर्वधारणाओं के आधार पर व्यापक रूप से आगे बढ़ा, (ii) अभि.सा.1, अभि.सा. 3 और विशेष रूप से विद्वान रजिस्ट्रार कार्यालय की निर्विरोध गवाही के बावजूद, प्र.सा.8 की गवाही पर अनुचित निर्भरता रखते हुए, विभिन्न गवाहियों के मूल्यांकन में आक्षेपित आदेश विरोधाभासी था। जिसने विल के निष्पादन और प्रोबेट देने के मामले को पूरी तरह से स्थापित किया (iii) विल में, प्रत्यक्ष रूप से और साथ ही निगम द्वारा उन संपत्तियों को इंगित करने के लिए पर्याप्त जानकारी है, जिन्हें वह वसीयत करना चाहता है, इसलिए, परिसंपत्तियों या निष्पादक या लाभार्थी के बारे में कुछ भी अस्पष्ट नहीं था। (iv) अभि.सा.3 ने यह बयान नहीं दिया कि उसने विल पर हस्ताक्षर किए हैं परंतु यह कि उसने बिल (वसीयतकर्ता को जारी किए गए) पर हस्ताक्षर किए हैं, जो गलत तरीके से लिखा गया प्रतीत होता है।

<u>विल का निष्पादन और उसे साबित करना:</u>

20. अपीलकर्ता प्रस्तुत करता है कि विल और वसीयत के निष्पादन का तरीका उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 में निर्धारित किया गया है जो निम्नानुसार हैः-

> ***63. विशेषाधिकार प्राप्त विलों का निष्पादन।***— *प्रत्येक वसीयतकर्ता, जो किसी अभियान में नियोजित या वास्तविक युद्ध में लगा हुआ, और सैनिक नहीं है, या इस प्रकार नियोजित या लगा हुआ वायुसैनिक नहीं है, या समुद्री नाविक नहीं है, निम्नलिखित नियमों के अनुसार अपनी विल निष्पादित करेगा:—*
>
> *(क) वसीयतकर्ता विल पर हस्ताक्षर करेगा या अपना निशान लगाएगा या उस पर उसकी उपस्थिति में और उसके निर्देश से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।*
>
> *(ख) वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर या चिह्न, या उसके लिए हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर को इस तरह रखा जाएगा कि यह प्रतीत हो कि इसका उद्देश्य विल के रूप में लेखन को प्रभावी बनाना था।*
>
> *(ग) विल दो या दो से अधिक गवाहों द्वारा सत्यापित की जाएगी जिनमें से प्रत्येक ने वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर को देखा है या विल पर अपना निशान लगाया है या वसीयतकर्ता की उपस्थिति में और निर्देश से किसी अन्य व्यक्ति को विल पर हस्ताक्षर करते देखा है, या वसीयतकर्ता से अपने हस्ताक्षर या निशान या ऐसे अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर की व्यक्तिगत स्वीकृति प्राप्त की है;*

और प्रत्येक साक्ष्य वसीयतकर्ता की उपस्थिति में विल पर हस्ताक्षर करेगा, परंतु यह आवश्यक नहीं होगा कि एक ही समय में एक से अधिक गवाह उपस्थित हों, और किसी विशेष रूप से अनुप्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी।

21. राजस्थान राज्य का तर्क है कि विल उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 के अनुसार साबित नहीं हुई है जिसके लिए आवश्यक है कि इसे कम से कम दो गवाहों द्वारा अपने हस्ताक्षर के साथ सत्यापित किया जाए जिन्होंने वसीयतकर्ता को विल पर अपने हस्ताक्षर करते देखा है या वसीयतकर्ता से विल पर अपने हस्ताक्षर के बारे में एक पावती प्राप्त की है। यह तर्क दिया जाता है कि विल पर हस्ताक्षर करने वाले प्रमाणक गवाह ने दस्तावेज़ को प्रमाणित करने अर्थात *एनिमस अटेस्टेंडी* के इरादे से इस तरह से हस्ताक्षर किए होंगे यानी वास्तविक विल के लिए इसे एक वैध अनुप्रमाण बनाना आवश्यक है।

22. विल साबित करने का तरीका साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 में निहित है, जो निम्नानुसार हैः-

68. कानून द्वारा सत्यापित किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज़ के निष्पादन का प्रमाण। –यदि कानून द्वारा किसी दस्तावेज़ को सत्यापित करने की आवश्यकता है तो इसका उपयोग तब तक सबूत के रूप में नहीं किया जाएगा जब तक कि कम से कम एक प्रमाणित करने वाले गवाह को उसके निष्पादन को साबित करने के उद्देश्य से नहीं बुलाया जाता है यदि कोई प्रमाणित करने वाला गवाह जीवित है और न्यायालय की प्रक्रिया के अधीन है और सबूत देने में सक्षम हैः

बशर्ते कि भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के प्रावधानों के अनुसार पंजीकृत किए गए किसी भी दस्तावेज के निष्पादन के प्रमाण के रूप में एक प्रमाणक साक्ष्य को बुलाना आवश्यक नहीं होगा, जब तक कि उस व्यक्ति द्वारा इसके निष्पादन से विशेष रूप से इनकार नहीं किया जाता है जिसके द्वारा इसे निष्पादित किया गया था।

23. आ.प्र.अ. (मू.पक्ष) 348/2012 में अपीलकर्ता ने स्वयं विल और वसीयतनामा को प्रमाणित करने वाले दोनों गवाहों के *साथ-साथ* आश्वासन पंजीयक, दिल्ली दोनों को मूल विल और वसीयत प्रस्तुत करने के लिए बुलाने के लिए एक आवेदन दायर किया। दिनांक 05.10.1987 के आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने उपरोक्त गवाहों को तलब किया हालांकि, श्री आर.के. सिंह अभिसाक्ष्य के लिए पेश नहीं हुए। दिनांक 12.10.1987 को आयोजित सुनवाई में रजिस्ट्रार कार्यालय से सुश्री कुसुम लता, मूल विल और वसीयतनामा वाला एक मुहरबंद लिफाफा लेकर आईं जो उस कार्यालय में जमा किया गया था। उक्त तिथि पर, अपीलकर्ता ने वसीयतकर्ता द्वारा निष्पादित मूल कोडिसिल को भी न्यायालय में पेश किया। प्रोबेट न्यायालय ने अपने दिनांक 12.10.1987 के आदेश द्वारा तीन मूल दस्तावेजों को दर्ज किया है अर्थात् (i) मूल विल और वसीयतनामा (प्र.अभि.-1) जो रजिस्ट्रार के पास जमा हैं; (ii) विल और वसीयत वाला मूल मुहरबंद लिफाफा (प्र.अभि-2); और (iii) श्री परमेश्वर प्रसाद (अभि.सा.1) द्वारा प्रस्तुत मूल कोडिसिल (प्र.अभि-3) को पक्षों द्वारा मूल रूप में देखा गया था और मूल वसीयत को फिर से मुहरबंद कर दिया गया था।

24. अपीलकर्ता द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि साक्ष्य अधिनियम ("साक्ष्य अधिनियम") की धारा 68 के प्रावधानों के अनुसार यह पर्याप्त है अगर विल के निष्पादन को साबित करने के लिए एक प्रमाणक गवाह को गवाही के लिए बुलाया जाए। तदनुसार, अपीलार्थी ने श्री पी.एन. खन्ना, जो एक चार्टर्ड एकाउंटेंट और प्रमाणक गवाह थे, को अभि.सा.1 के रूप में दिनांक 30.10.1985 की विल और वसीयत के निष्पादन को साबित करने के लिए पेश किया और निम्नलिखित बयान दिया थाः-

> *".....खेत्री के राजा बहादुर सरदार सिंह ने तीस हजारी, दिल्ली में रजिस्ट्रार कार्यालय के बाहर, मेरी उपस्थिति में और श्री आर.के. सिंह, अधिवक्ता जो श्री डैनियल लतीफी, अधिवक्ता के कनिष्ठ थे, की उपस्थिति में एक विल का निष्पादन किया था। मैं* 30 *अक्टूबर* 1985 *को तीस हजारी न्यायालय गया था और सुबह* 10 *बजे पूर्वाहन वहाँ पहुँचा था। मैंने वसीयतकर्ता के अनुरोध पर ऐसा किया था। श्री आर.के.सिंह भी वहाँ पहुँचे थे। वसीयतकर्ता के पास प्र.अभि 1 का टाइप किया हुआ ड्राफ्ट था। इस विल पर वसीयतकर्ता द्वारा मेरी उपस्थिति में 'ग' से अलग किए गए हिस्सों पर हस्ताक्षर किए गए थे और उसके बाद वसीयतकर्ता के अनुरोध पर मैंने वसीयतकर्ता की उपस्थिति में इसके सभी पृष्ठों पर 'क' से अलग किए गए हिस्सों पर हस्ताक्षर करके इसे सत्यापित किया था और इसी तरह श्री आर.के. सिंह, अधिवक्ता ने वसीयतकर्ता को इसके सभी पृष्ठों पर 'ग' से अलग भाग पर हस्ताक्षर करते हुए देखा था और इसके सभी पृष्ठों पर 'ख' से अलग भाग पर हस्ताक्षर करके इसे सत्यापित किया था।*

विल के निष्पादन के बाद, उनके निर्देश पर वसीयतकर्ता के कर्मचारियों ने इसे एक मुहरबंद लिफाफे में डाल दिया और वसीयतकर्ता ने इसे मेरी उपस्थिति में रजिस्ट्रार के कार्यालय में जमा कर दिया और मैं पूरे समय उनके साथ रहा। जहाँ तक मुझे याद है, मैंने कोई फॉर्म भरा था जो रजिस्ट्रार के पास वसीयत जमा करने के लिए आवश्यक था। मैंने मुहरबंद लिफाफे प्र.अभि.2 भी देखा है। यह भी मेरी उपस्थिति में वसीयतकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था, जो कि 'ग' से अलग था। मैंने उस समय भी 'क' और 'ख' को दरकिनार कर हस्ताक्षर किए थे। श्री आर.के. सिंह अधिवक्ता ने 'ख' से अलग वाले हिस्से पर हस्ताक्षर किए।

7 नवंबर 1985 *को, वसीयतकर्ता के अनुरोध पर, मैं उनके आवास पर गया था जहाँ श्री आर.के.सिंह अधिवक्ता भी आए थे। वसीयतकर्ता के पास कोडिसिल प्र.अभि.* 3 *का एक टाइप किया हुआ मसौदा था और हमारी उपस्थिति में उन्होंने उस पर हस्ताक्षर किए और मैंने और श्री आर.के. सिंह के बाद, अधिवक्ता ने वसीयतकर्ता को उस पर हस्ताक्षर करते देखा था, वसीयतकर्ता के अनुरोध पर, हमने गवाहों के रूप में हस्ताक्षर करके इस कोडिसिल को अनुप्रमाणित किया। मैंने इस कोडिसिल को 'क' से अलग वाले हिस्से पर हस्ताक्षर करके प्रमाणित किया है। श्री आर.के. सिंह, अधिवक्ता ने इसे 'ख' से अलग वाले हिस्से पर हस्ताक्षर करके अनुप्रमाणित किया और वसीयतकर्ता ने 'ग' से अलग वाले हिस्से पर हस्ताक्षर किए थे।"*

25. अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पारस कुहड़ प्रस्तुत करते हैं कि चूंकि श्री पी.एन. खन्ना (अभि.सा.1) से उपरोक्त के संबंध में प्रति-परीक्षा नहीं की गई थी इसलिए उनकी गवाही दिनांक 30.10.1985 विल और वसीयत के प्रमाणक गवाह के रूप में साबित होती है। विभिन्न विरोधियों की ओर से प्रति-परीक्षा से विल पर हस्ताक्षर करने के संबंध में निम्नलिखित कथन प्राप्त होता हैः

> *—यह सुझाव देना गलत है कि विल प्र.अभि.1 और कोडिसिल* प्र.अभि.*3 पर परमेश्वर प्रसाद ने वसीयतकर्ता के दबाव में हस्ताक्षर किए थे या मैंने परमेश्वर प्रसाद के कहने पर इसे सत्यापित किया था।*
>
> ***
>
> *...कोडिसिल* प्र.अभि.*3 पर X, X-1 और X-2 को घेर वाले क्रॉस को उस व्यक्ति द्वारा चिह्नित किया गया होगा जिसने इसे तैयार किया था। उन्हें मेरे द्वारा चिह्नित नहीं किया गया था। वे पहले से ही अस्तित्व में थे जब वसीयतकर्ता, मैंने और श्री आर.के. सिंह, अधिवक्ता ने इस दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किए थे। यह कहना गलत है कि मैंने वसीयतकर्ता को कोडिसिल पर हस्ताक्षर करते नहीं देखा था या कि मैंने मृतक की उपस्थिति में इसे सत्यापित नहीं किया था या कि यह मुझे भेजा गया था और मैंने बाद में हस्ताक्षर किए थे। वसीयत प्र.अभि.1 पर सबसे पहले वसीयतकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे और उसके सभी पृष्ठों पर 'ग' को अलग कर दिया गया था और उसके बाद उनके अनुरोध पर मैंने 'क' को अलग किए गए हिस्सों पर*

हस्ताक्षर करके इसे अनुप्रमाणित किया था और उसके बाद श्री आर.के. सिंह अधिवक्ता ने 'ख' को अलग किए गए हिस्सों पर हस्ताक्षर करके इसे अनुप्रमाणित किया था।

***

वसीयतकर्ता के अलावा, मैं और आर. के. सिंह अधिवक्ता, वसीयतकर्ता के निजी सहायक श्री गोलका नंद और चालक को छोड़कर उनके दो कर्मचारी उस समय मौजूद थे जब दिल्ली के तीस हजारी न्यायालय में वसीयत प्र.अभि.*1 को निष्पादित किया गया था। मुझे नहीं पता कि उस समय कोई और भी मौजूद था या नहीं, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि जब कोडिसिल* प्र.अभि.*3 पर हस्ताक्षर किया गया था तब वसीयतकर्ता, मुझे और श्री आर.के. सिंह, अधिवक्ता को छोड़कर वसीयतकर्ता के शयन-सह-बैठक में केवल उपरोक्त व्यक्ति उपस्थित थे और कोई मौजूद नहीं था|*

26. अपनी प्रस्तुति के समर्थन में अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने उच्चतम न्यायालय के आदेश पर ***मुद्दासानी वेंकट नरसैया बनाम मुद्दासानी सरोजना, 2016 (12) एससीसी 288*** के वाद पर भरोसा किया जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जब किसी गवाह की गवाही की प्रतिपरीक्षा में परीक्षण नहीं किया जाता है तो ऐसे गवाह के साक्ष्य को सामान्य रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए।

उपरोक्त पर भरोसा करते हुए उनका मानना है कि साक्ष्य की धारा 68 की आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है और विल और कोडिसिल सिद्ध हैं,

क्योंकि प्रति-परीक्षा के बाद भी गवाही अप्रभावित रही। वास्तव में, अभि.सा.-1 की स्पष्ट और श्रेणीबद्ध गवाही को प्रति-परीक्षा में भी चुनौती नहीं दी गई थी।

27. न्यायालय इस तर्क में गुणागुण पाती है। विचारण के दौरान, अभि.सा.1 की गवाही से यह स्थापित किया गया है कि (क) वसीयतकर्ता ने अपनी उपस्थिति के साथ ही प्र.सा.8 की उपस्थिति में वसीयत के *साथ-साथ* कोडिसिल पर हस्ताक्षर किए, (ख) वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर करने के तुरंत बाद ही अभि.सा.1 और प्र.सा.8 ने वसीयतकर्ता की उपस्थिति में विल पर हस्ताक्षर किए (ग) जब विल पर हस्ताक्षर किए गए थे और रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किया गया था, तब प्र.सा.8 तीस हजारी न्यायालय में रजिस्ट्रार के कार्यालय में मौजूद था (घ) अभि.सा.1 और प्र.सा.8 ने उस लिफाफे पर हस्ताक्षर किए जिसमें विल को मुहरबंद कर दिया गया था। ये तथ्य परीक्षणकर्ता, अभि.सा.1 और प्र.सा.8 के हस्ताक्षर वाले दस्तावेजों की सामग्री से भी सामने आते हैं, जो प्रभावी रूप से अभि.सा.1 के गवाही से पुष्टि होते हैं।

28. ऐसा प्रतीत होता है कि अभि.सा.1 को यह सुझाव भी नहीं दिया गया था कि विल पर हस्ताक्षर किए जाने के समय प्र.सा.8 मौजूद नहीं था या प्र.सा.8 ने विल, कोडिसिल या उस आवरण/लिफाफे पर हस्ताक्षर नहीं किए थे जिसमें विल को मुहरबंद किया गया था। न ही ऐसा कोई सुझाव था कि विल पर 30.10.1985 से पूर्व ही वसीयतकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जा चुके थे।

29. न्यायालय के विचार में, जहां तक विल और कोडिसिल को साबित करने का संबंध है, अभि.सा.1 की गवाही से साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 की आवश्यकताओं का अनुपालन किया जाता है। आक्षेपित आदेश में प्र.सा.8 के साक्ष्य के आधार पर अभि.सा.1 के साक्ष्य की विश्वसनीयता के बारे में कुछ चिंताएँ दर्ज की गई थीं, जिनसे इस निर्णय में अधिक उपयुक्त समय पर निपटा जाएगा।

30. अभि.सा.1 के बाद, विल पर वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर साबित करने के लिए निष्पादकों में से एक श्री परमेश्वर प्रसाद से अभि.सा.-2 के रूप में पूछताछ की गई। उन्होंने अभिसाक्ष्य दिया कि मूल विल और कोडिसिल की अभिरक्षा वसीयतकर्ता द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता श्री डेनियल लतीफी को सौंप दी गई थी जिन्होंने बदले में उसे श्री रोमेश थापर को उनकी उपस्थिति में सौंप दिया। अभि.सा.2 ने अभिसाक्ष्य दिया है कि उन्हें नहीं पता था कि विल और लिफाफे पर कब और कहाँ हस्ताक्षर किए गए थे और उन्हें निष्पादित किया गया था। विशेष रूप से, अभि.सा.2 को विल के निष्पादन और जमा करने के तरीके के विषय में कोई सुझाव नहीं दिया गया था, न ही उन्हें कोई सुझाव दिया गया था कि श्री आर. के. सिंह (प्र.सा.8) ने खुद अभि.सा.2 के कहने पर या वसीयतकर्ता या अभि.सा.1 की अनुपस्थिति में विल और वसीयत पर एक प्रमाणक गवाह के रूप में अपने हस्ताक्षर किए हैं। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दो विश्वसनीय और

ठोस साक्ष्यों के आधार पर, यह स्पष्ट था कि प्रोबेट देने के लिए उसका वाद साबित हुआ।

31. सात विरोधियों ने प्रोबेट के अनुदान का विरोध करने के लिए साक्ष्य में आठ साक्ष्यों का नेतृत्व किया। विशेष रूप से, उनमें से किसी ने भी दोनों प्रमाणक साक्ष्यों की उपस्थिति में दिनांक 30.10.1985 को विल और वसीयतनामा के निष्पादन और जमा करने के संबंध में श्री पी.एन. खन्ना (अभि.सा.1) के साक्ष्य का खंडन नहीं किया। राजस्थान राज्य द्वारा एक संदेह व्यक्त करने की मांग की गई थी कि चूंकि श्री परमेश्वर प्रसाद (अभि.सा.2) ने कथित रूप से वसीयतकर्ता के मामलों की देखभाल की थी इसलिए हो सकता है कि उन्होंने खाली कागजों पर वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर प्राप्त किए हों और उसके बाद विल और वसीयतनामा को गढ़ने के लिए इसका उपयोग किया हो। प्र.सा.1 और प्र.सा.3 को प्र.सा.6 का साक्ष्य मानते हुए विद्वान एकल न्यायाधीश ने निष्कर्ष निकाला कि वे "प्रस्तावित साक्ष्य" थे। उन्होंने इस प्रकार तर्क कियाः-

> *'87. प्र.सा-2, कैलाश नारायण रावत, तहसीलदार को छोड़कर प्रत्यर्थियों की ओर से प्रस्तुत किए गए इन साक्ष्यों का विश्लेषण, जिन्होंने मृतक वसीयतकर्ता की संपत्तियों की कुर्की को साबित किया है और प्र.सा-7, कुसुम लता, जिन्होंने रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड में मृतक वसीयतकर्ता परमेश्वर की वसीयत की प्रविष्टि को साबित किया, शेष साक्ष्यों को आपत्तिकर्ताओं द्वारा गवाह बनाया जाता है। वस्तुतः, साक्ष्यों में से एक स्वयं आपत्तिकर्ता है। उन्होंने अपनी आपत्ति वापस ले ली है; इसलिए, उसकी गवाही का कोई महत्व नहीं है...*

32. विद्वान एकल न्यायाधीश ने विशेष रूप से इस विवाद को खारिज कर दिया कि विल को अभि.सा.2 द्वारा खाली कागजों पर गढ़ा या जाली बनाया गया हो सकता है। न केवल वसीयतकर्ता की शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, कद, क्षमता और ज्ञान को देखते हुए, यह न्यायालय भी इस तरह के सुझाव को अविश्वसनीय से कम नहीं पाती है। न्यायालय उन व्यक्तियों से भी अवगत है जो उन्हें पेशेवर और व्यक्तिगत आधार पर सलाह दे रहे थे, उन व्यक्तियों से भी जिन्हें वसीयत में न्यासी के रूप में नामित किया गया था। राजस्थान राज्य ने भी अपनी अपील में इस निष्कर्ष को चुनौती नहीं दी है।

33. हालाँकि, आक्षेपित आदेश निम्नलिखित रूप में पालन करने के लिए आगे बढ़ाः

> *93. ...इसलिए मुझे लगता है कि यह आरोप लगाना बहुत दूर की बात है कि विल अभि.सा.2, परमेश्वर प्रसाद द्वारा गढ़ी गई थी या जालसाज़ी की गई थी लेकिन निश्चित रूप से इस वाद का तथ्य यह है कि अभि.सा.2, परमेश्वर प्रसाद ने चीजों को इस तरह से हेरफेर किया होगा ताकि विल की औपचारिकताओं को अलग-अलग समय पर पूरा करने की कोशिश की जा सके, वास्तव में सभी तीन व्यक्तियों, अर्थात् मृतक/वसीयतकर्ता और दो गवाहों को एक साथ हस्ताक्षर करने के लिए क्योंकि प्र.सा.-8, आर.के. सिंह ने विशेष रूप से कहा है कि जब वह सरदार पटेल रोड पर गए थे, तो उन्होंने मृतक/वसीयतकर्ता को नहीं देखा था और यह अभि.सा.2 परमेश्वर प्रसाद थे, जिन्होंने उन्हें दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा था। उस हद तक, कोई भी निश्चित रूप से कह सकता है कि यह एक संदिग्ध परिस्थिति है जो याचिकाकर्ताओं के खिलाफ जाती है।"*

34. उपरोक्त अनुमान, हमारी राय में, इस संबंध में अभि.सा.2 की प्रतिपरीक्षा की घोर कमी के कारण अनुरक्षणीय नहीं है। एक एकल सुझाव को छोड़कर कि वसीयतकर्ता को अभि.सा.2 द्वारा विल को निष्पादित करने के लिए मजबूर किया

गया था या हेरफेर किया गया था ताकि इससे लाभ उठाया जा सके, अभि.सा.2 द्वारा एक सुझाव को अस्वीकार कर दिया गया था, इस तरह के निष्कर्ष का कोई आधार नहीं था। इसके बजाय, अपीलार्थी के पक्ष में काफी सबूत हैं, जिन्हें विवादित आदेश द्वारा सराहा नहीं गया है।

35. रजिस्ट्रार कार्यालय से सुश्री कुसुम लता ((प्र.सा-7) ने पुष्टि की कि उनके द्वारा उपरोक्त कार्यालय से प्रस्तुत रजिस्टर में प्रविष्टि 335 है जिसमें दर्शाया गया है कि वसीयतकर्ता की विल और वसीयतनामा जमा किया गया था और श्री पी.एन. खन्ना (अभि.सा.1) और श्री आर.के. सिंह (प्र.सा-8) विल और वसीयतनामा के साक्ष्य थे। उन्होंने निम्नानुसार गवाही दी:

> *"मैं पुस्तक सं. 5 लाया हूँ जो रजिस्ट्रार के कार्यालय में रखी जाती है जिसमें रजिस्ट्रार के कार्यालय में जमा की गई वसीयतों के संबंध में प्रविष्टियाँ की जाती हैं। इस* रजिस्टर *में संख्या.335 वाली एक प्रविष्टि है जो दर्शाती है कि राजा बहादुर अमर सिंह के पुत्र राजा बहादुर सरदार सिंह की विल 30 अक्टूबर 1985 को हमारे कार्यालय में जमा की गई थी। यह भी उल्लेख किया गया है कि विल के साक्ष्य श्री बरकत राम के पुत्र श्री पी.एन. खन्ना, और अधिवक्ता श्री आर.के. सिंह हैं।*

36. यह साक्ष्य, खासकर जब अभि.सा.1 और अभि.सा.2 के साक्ष्य के साथ ली जाए तो काफी महत्वपूर्ण है और हमारे विचार में इस निष्कर्ष को नकारती और निराधार बनाती है की अभि.सा.2 ने "चीजों में इस तरह से हेरफेर किया है कि विल की औपचारिकताओं को वास्तव में तीनों व्यक्तियों, अर्थात्

मृतक/वसीयतकर्ता और दो साक्ष्यों को एक साथ हस्ताक्षर किए बिना अलग-अलग समय पर पूरा करने की कोशिश की जाती है"।

37. प्र.सा.7 के साक्ष्य से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि विल को निष्पादित किया गया था और पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 42 और 43 के तहत निर्धारित तरीके से रजिस्ट्रार के कार्यालय में जमा किया गया था, जो निम्नानुसार हैः-

> *"42. वसीयतों को जमा करना– कोई भी वसीयतकर्ता, या तो व्यक्तिगत रूप से या विधिवत अधिकृत एजेंट द्वारा, किसी भी रजिस्ट्रार के पास वसीयतकर्ता और उसके एजेंट (यदि कोई हो) के नाम के साथ मुहरबंद लिफाफे में और दस्तावेज़ की प्रकृति के बयान के साथ अपनी वसीयत जमा कर सकता है।*
>
> *43. वसीयत जमा करने की प्रक्रिया।–*
>
> (1) *ऐसा लिफाफा प्राप्त होने पर, यदि रजिस्ट्रार सहमत है कि इसे जमा करने के लिए प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति वसीयतकर्ता या उसका एजेंट है, तो वह अपनी रजिस्टर-पुस्तक संख्या* 5 *में उपरोक्त अधिलेखन का प्रतिलेखन करेगा, और उसी पुस्तक में और उक्त कवर पर ऐसी प्रस्तुति और रसीद के वर्ष, महीने, दिन और घंटे, और किसी भी व्यक्ति के नाम जो वसीयतकर्ता या उसके एजेंट की पहचान की साक्ष्य दे सकता है, और कोई भी सुपाठ्य लेख जो लिफाफे की मुहर पर हो सकता है, को टिप्पणी करेगा।*
>
> (2) *इसके बाद रजिस्ट्रार मुहरबंद लिफाफे को अपने अग्निरोधी डिब्बे में रखेगा और बनाए रखेंगा।"*

38. दिल्ली पंजीकरण नियम, 1976 का नियम 20 इस प्रकार हैः-

> *".**20. किताब नं. V.-(1)** पुस्तक V को केवल रजिस्ट्रार के कार्यालय में रखा जाना है, जो जमा करने के लिए मुहरबंद*

लिफाफे में विल प्राप्त कर सकते हैं। इसमें निम्नलिखित शीर्षक होंगेः

(1) क्रम संख्या;

(2) मुहरबंद लिफाफे पर अभिलेखन;

(3) लिफाफे के मुहरबंद पर विवरण;

(4) मुहरबंद लिफाफे की प्रस्तुति और प्राप्ति का समय, वर्ष, माह, दिन और घंटा;

(5) जमाकर्ता का नाम;

(6) जमाकर्ता की पहचान की गवाही देने वाले व्यक्तियों के नाम;

(7) निकासी हेतु आवेदक को मुहरबंद लिफाफे की डिलीवरी का समय वर्ष, माह, दिन और घंटा;

(8) आवेदक की पहचान और डिलीवरी के समय की गवाही देने वाले व्यक्तियों के नाम;

(9) मुहरबंद लिफाफे को खोलने का समय- वर्ष, महीना, दिन, घंटा।

(2) कॉलम (1) से (6) तब भरे जाएंगे जब कोई वसीयत पहली बार अधिनियम की धारा 43 के तहत जमा की जाएगी। बाद में विल वापस लिए जाने की स्थिति में कॉलम (7) और (8) भरे जाएंगे और अधिनियम की धारा 45 या 46 के तहत, वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद विल खोले जाने पर कॉलम (9) भरा जाएगा। इन सभी प्रविष्टियों को कुछ समय के लिए रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए। जब किसी विल को अधिनियम की धारा 46(1) के तहत न्यायालय के आदेश से हटा दिया गया हो तो तथ्य को प्रविष्टि में रेड इंक से नोट

किया जाएगा और नोट को रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।"

39. साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के तहत परिकल्पित तथ्यों की उपधारणा और उसके उदाहरण (ई) को यहाँ नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है: -

"धारा 114. न्यायालय कुछ तथ्यों का अस्तित्व मान सकता है:

.....

(ङ) न्यायिक और आधिकारिक कार्य नियमित रूप से किए गए हैं;

..."

40. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, आक्षेपित आदेश को मान्य किया जाना चाहिए था कि वसीयत और वसीयतनामा प्राप्त करने का आधिकारिक कार्य रजिस्ट्रार द्वारा किया गया था, कानून के अनुसार और मुहरबंद लिफाफे की सामग्री को रजिस्ट्रार द्वारा सटीक रूप से दर्ज किया गया था, खासकर इसलिए क्योंकि रजिस्ट्रार, पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 43 के प्रावधानों और उसके तहत लागू नियमों के संदर्भ में, खुद को संतुष्ट करता था कि वसीयत और वसीयतनामा प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति स्वयं वसीयतकर्ता है और उसके बाद रजिस्टर बुक नंबर 5 में और लिफाफे के कवर पर, वसीयतकर्ता और श्री पी.एन. खन्ना (अभि.सा 1) और श्री आर.के. सिंह (प्र.सा 8) के नाम उन व्यक्तियों के रूप में लिखे गए, जिन्होंने वसीयतकर्ता की पहचान की गवाही दी थी। यह और भी अधिक है, क्योंकि मुहरबंद लिफाफे में मूल वसीयत देखी जा चुकी है, प्रोबेट याचिका के साथ न्यायालय में पेश की

गई मूल नकल के समान होने की तुलना में, और वसीयत और कवर/लिफाफे पर ऊपर बताए अनुसार लिखावट और हस्ताक्षर हैं।

41. किसी "लोक दस्तावेज़" के सही होने का अनुमान है। “इस उपधारणा का खंडन नहीं किया गया है, जिससे हमें इस पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं मिला है। रजिस्ट्रार के पास जमा की गई वसीयत साक्ष्य अधिनियम की धारा 74(2) के अर्थ के अंतर्गत एक 'लोक दस्तावेज़' है।1

42. उच्चतम न्यायालय ने माना है कि जन्म रजिस्टर में एक अधिकारी द्वारा की गई प्रविष्टि उसके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में थी और, इसलिए, उस अधिकारी की जाँच करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।2

43. आधिकारिक कार्य की वैधता और नियमितता के बारे में उपधारणा है। इसके विपरीत साबित करने का भार उस व्यक्ति पर है जो ठोस और प्रासंगिक सामग्री द्वारा अनुमान का खंडन करना चाहता है।3

44. उच्चतम न्यायालय ने माना कि एक बार रजिस्ट्रार के कार्यालय से वसीयत की प्रमाणित प्रति अभिलेख पर रख दी गई, तो यह साबित करने का भार आरोप लगाने वाले पक्ष पर है कि पंजीकरण विधि के अनुसार नहीं था।

45. वर्तमान मामले में, मूल वसीयत वाला लिफाफा रजिस्ट्रार द्वारा प्रस्तुत किया गया था, इसे न्यायालय में खोलकर देखा गया, जैसा कि यहाँ ऊपर पुन: प्रस्तुत किया गया है। इसका खंडन किसी भी ठोस और प्रासंगिक साक्ष्य द्वारा

नहीं किया गया है। मूल वसीयत का लिफाफा प्रमाणित है और उसकी सामग्री, यानी वसीयत भी प्रमाणित है। किसी भी स्थिति में, वसीयत के निष्पादन या पंजीकरण के संबंध में अभि.सा2 द्वारा निभाई गई भूमिका के संबंध में, आक्षेपित आदेश में लगाए गए अनुमान का कोई आधार नहीं है। इसलिए, उस अनुमान और निष्कर्ष को कायम नहीं रखा जा सकता। इस अनुमान पर प्र.सा8 की गवाही के प्रभाव पर इस निर्णय में अधिक उपयुक्त समय पर विचार किया जाएगा।

46. हमारे विचार में, अभि.सा.1 और अभि.सा.2 की गवाही, जो प्रतिपरीक्षा में निर्विवाद रही, प्र.सा7 की गवाही के साथ पढ़ी गई, वसीयत और वह कवर जिसमें इसे सील किया गया था, यह बहुतायत से स्पष्ट करता है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के अनुसार वसीयत को साबित करने की आवश्यकताओं का अनुपालन किया जाता है, और उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 के अनुसार यह साबित करने की आवश्यकता का अनुपालन किया जाता है कि वसीयत निष्पादित की गई थी। यह, अपने आप में, टेस्ट केस 26/1987 को अनुमति देने के लिए पर्याप्त है। हालाँकि, चूँकि आक्षेपित आदेश ने कुछ ऐसे निष्कर्ष निकाले हैं जिनका इस पर असर हो सकता है, उन पर चर्चा की जा रही है।

<u>उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 89 के अनुसार संपत्ति को निर्दिष्ट करना आवश्यक है और ऐसा न करने के कारण वसीयत अयोग्य है</u>

47. आक्षेपित आदेश में कहा गया कि वसीयत अस्पष्टता से ग्रस्त है क्योंकि इसमें यह निर्दिष्ट नहीं किया गया है कि वसीयतकर्ता की संपत्ति का कौन सा हिस्सा वसीयत का हिस्सा है।

48. जैसा कि यहाँ ऊपर प्रस्तुत वसीयत से देखा जा सकता है, वसीयतकर्ता ने यह निर्दिष्ट किया है कि वह "मेरी सभी संपत्तियां, चाहे कहीं भी चल या अचल, नीचे दिए न्यास के नाम करता है। न्यास का नाम खेतड़ी ट्रस्ट होगा।" वसीयत के हिताधिकारीगण निर्दिष्ट किए गए थे। वसीयत में इस्तेमाल किये गये शब्द हैं, "मेरी सभी संपत्तियां, चल या अचल, कहीं भी..."।

49. प्रस्तावित वसीयत का पठन (सी) निम्नानुसार है:-

> *"जैसा कि मेरी संपत्ति आयकर विवरणी से पता चलता है, मेरे पास अचल और चल संपत्ति है।"*

50. पैरा 3 में वसीयत, अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रकार है: -

> *"मैं एतद्द्वारा वसीयत करता हूँ और अपने उक्त निष्पादकों और न्यासियों को अपनी सभी संपत्तियाँ, चाहे वे चल हों या अचल, कहीं भी हों, नीचे दिखाए गए न्यास को सौंपता हूँ।*
>
> ...न्यास का नाम खेतड़ी ट्रस्ट होगा।"

51. बिल्कुल स्पष्ट रूप से, वसीयतकर्ता की संपत्ति, जैसा कि उसके संपत्ति आयकर विवरणी में निहित है, यानी उसकी सभी संपत्तियां, चल या अचल जो कहीं भी हो सकती हैं, नामित हिताधिकारी यानी खेतड़ी ट्रस्ट को विरासत में दे

दी गईं। हमारे विचार में, संपत्ति/विषय वस्तु या वसीयत के हिताधिकारी के संबंध में कोई अस्पष्टता या अनिश्चितता नहीं थी।

52. आक्षेपित आदेश में महसूस किया गया कि वसीयत के पैरा 3 में "जैसा नीचे दिखाई देता है" शब्द का उपयोग "चल या अचल संपत्ति" शब्द से संबंधित होना चाहिए। इसे अलग ढंग से कहें तो, आक्षेपित आदेश में महसूस किया गया कि पैरा 3, जैसा कि नीचे दिखाई देता है, चल या अचल संपत्तियों की वसीयत करके, अनिश्चितता का एक तत्व पेश किया गया है क्योंकि वसीयत के बाकी हिस्सों में स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया गया कि वे कौन सी संपत्तियां थीं जो पैरा 3 के नीचे दिखाई देने वाली थीं।

53. हालाँकि, हमारे विचार से, इस व्याख्या को कायम नहीं रखा जा सकता। शब्द "जैसा नीचे दिखाई देता है" से पहले "न्यास पर" शब्द आया था, जो दर्शाता है कि शब्द "जैसा नीचे दिखाई देता है" शब्द "न्यास" से संबंधित है। इसे अलग ढंग से कहें तो, वसीयत "मेरी सभी चल या अचल संपत्तियों" नीचे दिए गए न्यास के नाम है। यह पैरा 4 में लिखे तथ्य- "ट्रस्ट का नाम खेतड़ी ट्रस्ट होगा" से स्पष्ट है।

<u>गोकुल आनंद को नहीं बुलाया गया:</u>

54. वसीयतकर्ता के निजी सहायक गोकुल आनंद को न बुलाने के संबंध में राजस्थान राज्य का तर्क शायद ही संदेह का आधार हो सकता है क्योंकि

वसीयत बनाना एक गोपनीय कार्य है और वसीयतकर्ता नहीं चाहेगा कि निजी सहायक को इसके बारे में पता चल जाए, ऐसा उन कारणों से होगा जो वसीयतकर्ता को सबसे अच्छी तरह से मालूम होंगे, क्योंकि अन्य असंबद्ध व्यक्तियों द्वारा इसका खुलासा या जानकारी कई व्यक्तियों तक फैल सकती थी, जिसकी संपत्ति पर नज़र रही हो या उसका कुछ हिस्सा विरासत में पाने या अन्यथा प्राप्त करने की आशा पाले हो। उनके साथ जुड़े किसी कर्मचारी द्वारा भी अनावश्यक बाधाएं डाली जा सकती थीं। इसके अलावा निजी सहायक जरूरी नहीं कि एक भरोसेमंद हमराज़ हो।

55. मानव का स्वभाव चंचल है और संसार की कुछ समझ होने के कारण, वसीयतकर्ता ने अपनी वसीयत के तथ्य या सामग्री को किसी के सामने उजागर न करने का निर्णय लिया, उसने ऐसा करना ज़रूरी नहीं समझा। कानून के अनुसार किसी वसीयतकर्ता को वसीयत बनाने के बारे में अपने किसी करीबी व्यक्ति को बताने की ज़रूरत नहीं होती है। इन परिस्थितियों में, यह शायद ही कहा जा सकता है कि अपीलार्थी का यह रुख, कि श्री आनंद को बुलाने और उनसे पूछताछ करने से अनुचित देरी होगी, एक निराधार या अनुचित तर्क था।

56. किसी भी स्थिति में, आक्षेपित आदेश का अवलोकन कि श्री आनंद को बुलाने के आदेश के विरुद्ध अपील करने का तथ्य, अपीलार्थी के विरुद्ध निष्कर्ष निकालने को उचित ठहराता है, पूरी तरह से असंधार्य है। विधान में दी

गई अपील एक अधिकार है, जो कि इस प्रकार के मुद्दों से प्रभावित नहीं होनी चाहिए, विशेषतः जब खंडपीठ ने अपील में योग्यता पाई हो और श्री आनंद के बुलाने के आदेश रद्द कर दिए हों।

57. इन परिस्थितियों में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने श्री गोकुल आनंद को न बुलाने के लिए अपीलार्थी के विरुद्ध निष्कर्ष निकालने में गलती की है।

<u>श्री डेनियल लतीफी द्वारा वसीयत पर हस्ताक्षर करने से संबंधित विवाद:</u>

58. जहाँ तक श्री डेनियल लतीफी द्वारा इस प्रश्न का सकारात्मक उत्तर देने का संबंध है कि उसने मूल वसीयत पर हस्ताक्षर किए हैं, अपीलार्थी ने प्रस्तुत किया कि श्री डेनियल लतीफी विशेषतः श्री आर.के. सिंह (अभि.सा.8) द्वारा 30.10.1985 की वसीयत के निष्पादन और पंजीकरण में की गई उनकी सहायता के लिए दी गई फीस के संबंध में वसीयतकर्ता को दिए गए बिल की सत्यता साबित करने के लिए गवाह बॉक्स में उतरे थे। यह निष्पादक और आक्षेपकर्त्ता दोनों का ही मामला नहीं है कि श्री डैनियल लतीफी ने वसीयत पर हस्ताक्षर किए थे। इसके विपरीत, वसीयतकर्ता को श्री डेनियल लतीफी द्वारा प्रस्तुत किया गया बिल विवादित दस्तावेज़ था, जिसके लिए उससे पूछताछ की जा रही थी और वह मूल वसीयत पर नहीं बल्कि मूल बिल पर अपने हस्ताक्षरों का जिक्र कर रहे थे। ये दो शब्द 'बिल' और 'विल (वसीयत)' ध्वन्यात्मक रूप से समान हैं और यह स्पष्ट रूप से अनजाने में हुई टाइपिंग

में हुई गलती लगती है। ऐसा प्रतीत होता है कि श्री डेनियल लतीफी की प्रतिपरीक्षा टाइप करते समय भी वही त्रुटि हुई है।

59. प्रोबेट कार्यवाही में पारित दिनांक 04.12.2003 का आदेश इस प्रकार है:-

> *—...."आक्षेपकर्ता ने 30 अक्टूबर, 1985 के बिल (आशय विल) के साथ-साथ अन्य दस्तावेजों के निरीक्षण के लिए प्रार्थना की है जो मुहरबंद लिफाफे में पड़े हैं...।"*

60. दिलचस्प बात यह है कि वसीयत और वसीयतनामें पर हस्ताक्षर के संबंध में या हस्ताक्षर के समय कौन-कौन उपस्थित थे, इसके बारे में श्री डेनियल लतीफी से आगे कोई सवाल नहीं किया गया था।

61. अपीलार्थीगण द्वारा श्री लतीफी के साक्ष्य पर आश्रय रखने का एकमात्र कारण यह था कि श्री आर.के. सिंह की भूमिका पर संदेह जताया गया था कि क्या उन्हें तीस हजारी न्यायालय परिसर में रजिस्ट्रार के पास जमा करने के लिए वसीयत के प्रारूपण, निष्पादन और प्रस्तुति में सहायता के लिए कोई पैसा दिया गया था। श्री लतीफी को यह पुष्टि करने के लिए वसीयत नहीं दिखाई गई कि क्या यह उक्त वसीयत है जिस पर उसने "हस्ताक्षर" किए थे? न ही उनसे कोई सवाल पूछा गया कि जिस वसीयत पर उन्होंने हस्ताक्षर किया था वह कहाँ है। श्री लतीफी द्वारा वसीयत पर हस्ताक्षर किए जाने के बारे में प्रत्यर्थी का तर्क "क्या आपने मूल वसीयत पर हस्ताक्षर किए हैं" इस प्रश्न के सकारात्मक उत्तर पर आधारित है।

62. हमारे विचार में, श्री लतीफी के उत्तर में संदर्भ निस्संदेह बिल का था, वसीयत का नहीं। इसकी पूरी संभावना है कि श्री लतीफी ने संभवतः अपनी उम्र या आसपास के शोर के कारण 'विल' शब्द को 'बिल' समझ लिया होगा। वैकल्पिक रूप से, टाइप करने में हुई गलती के कारण बिल के स्थान पर विल शब्द टाइप हो गया और गवाही और आदेश में यही चलता रहा। हमारे विचार से, यह ज्यादा से ज्यादा एक छोटी सी विसंगति है। **इंदर सिंह और सुरेंद्र सिंह बनाम राज्य 1977 एससीसी ऑनलाइन डेल 143** मामले में इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने साक्ष्यों के अभिलेखन में संबंधित मामूली विसंगतियों को इस प्रकार माना है:

> *—...58. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की तरह, मुझे लगता है कि विसंगतियां बहुत मामूली हैं। किसी भी सच्चे गवाह के बयान में ऐसी विसंगतियाँ हो सकती हैं और होती भी हैं। मानव मस्तिष्क की कमियों को ध्यान में रखते हुए, ऐसी गलतियाँ होना अपेक्षित है। इसलिए, कुछ विसंगतियों का होना अपने आप में किसी गवाह पर अविश्वास करने का पर्याप्त आधार नहीं है। 'उनके वास्तविक मूल्य और प्रभाव का मूल्यांकन करने का प्रयास' होना चाहिए, और जब तक यह सोचने का कोई ठोस आधार न हो कि जानबूझकर सच को दबाने या भटकाने का प्रयास किया जा रहा है, इस तरह की विसंगतियों के कारण गवाहों की प्रत्यक्ष गवाही को ख़ारिज करना अनुचित है विशेषकर तब जब मामलें के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में सामान्य सहमति हो।': एम्परर बनाम मुहम्मद खान एवं अन्य, एआईआर 1934 लाहौर 710 (47)...देखें।"*

63. इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि भले ही ऐसा मान लिया जाए कि वसीयत का एक प्रतिलेख था जिस पर श्री लतीफी ने हस्ताक्षर किए

थे, यह उप-रजिस्ट्रार के कार्यालय से प्रस्तुत वसीयत के प्रोबेट के अनुदान को प्रभावित नहीं करेगा। रजिस्ट्रार को वसीयत सौंपने के संबंध में श्री परमेश्वर प्रसाद के साक्ष्य अखंडित हैं। अत: यह पहलू सिद्ध है। श्री लतीफी द्वारा जिस व्यावसायिक बिल का सन्दर्भ दिया जा रहा है, जिस पर उसने हस्ताक्षर किए हैं, वह यहाँ नीचे दिया गया है:

table

Please see the original English judgment.

<u>30.10.1985 को तीस हजारी में डेनियल लतीफी की उपस्थिति से संबंधित</u>

64. प्रत्यर्थी का कहना है कि यद्यपि श्री पी. एन. खन्ना ने गवाही दी थी कि वसीयतकर्ता के अलावा, जब वसीयत (प्र. पी1) दिल्ली के तीस हजारी न्यायालय के परिसर में रजिस्ट्रार के कार्यालय के बाहर निष्पादित की गई, तब वह खुद और वसीयतकर्ता के निजी सहायक श्री आर.के. सिंह, अधिवक्ता, श्री गोकुल आनंद और ड्राइवर को छोड़कर उनके स्टाफ के दो सदस्य वहाँ मौजूद थे। और उसे नहीं पता कि उस समय वहाँ कोई और भी मौजूद था या नहीं, लेकिन जहाँ तक उसकी जानकारी है, केवल उपरोक्त लोग ही मौजूद थे।

65. श्री पी.एन. खन्ना द्वारा श्री लतीफी की उपस्थिति का उल्लेख न करने के बारे में प्रत्यर्थी द्वारा बहुत कुछ कहा जा रहा है जिसने अपनी गवाही में

खंडन करते हुए कहा कि वह 30.10.1985 को वसीयतकर्ता के साथ दिल्ली के तीस हजारी न्यायालय के परिसर में गया था।

66. दिल्ली के तीस हजारी न्यायालय के परिसर में श्री लतीफी की उपस्थिति का उल्लेख न करने का दो गवाहों द्वारा वसीयत के निष्पादन और सत्यापन के मूल मुद्दे से कोई लेना-देना नहीं है। यहाँ तीन महत्वपूर्ण व्यक्ति थे- वसीयतकर्ता और दो गवाह। उनके वहाँ मौजूद होने की बात स्वीकार की गई है। ड्राइवर को छोड़कर वसीयतकर्ता के स्टाफ के दो सदस्यों की मौजूदगी स्वीकार कर ली गई है। श्री पी.एन. खन्ना को इस आशय का कोई सुझाव नहीं दिया गया है कि वास्तव में वह उक्त तिथि को तीस हजारी न्यायालय के परिसर में मौजूद नहीं था।

67. श्री खन्ना और किसी अन्य पक्ष के बयान में, यह दर्ज नहीं है कि श्री लतीफी में पेशेवर क्षमता थी, जिसके लिए उन्हें पूरी प्रक्रिया में सक्रिय रहना होगा। वह एक वरिष्ठ अधिवक्ता था, उसने अपने पदनाम के अनुरूप, वसीयत के निष्पादन की वास्तविक प्रक्रिया और उसे रजिस्ट्रार के पास एक मुहरबंद लिफाफे में जमा करने की प्रक्रिया से कुछ हद तक दूरी और अलगाव बनाए रखा। उनके इस कथन से कोई भी प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि: *"इस मुद्दे पर मैं यह कह या स्वीकार नहीं कर सकता कि राजा बहादुर सरदार साहब द्वारा वसीयत पर हस्ताक्षर करने के समय कौन मौजूद था। मैं*

यह नहीं कह सकता कि इस वसीयत पर उन्होंने किस स्थान पर हस्ताक्षर किये थे।"

68. अपीलार्थीगण द्वारा श्री लतीफी को अभि.सा.-3 के रूप में मुख्य रूप से श्री आर.के. सिंह की गवाही के साक्ष्य के संबंध में अपने खंडित साक्ष्य लाने के लिए पेश किया गया था कि वह वसीयत के प्रारूपण से जुड़े नहीं थे। चूँकि श्री लतीफी केवल वसीयतकर्ता के करीबी दोस्त के रूप में न्यायालय में उपस्थित थे, इसलिए यह समझ से परे नहीं है कि उसने 30.10.1985 तक दस्तावेज़ के वास्तविक निष्पादन और प्रस्तुति के संबंध में एक अलग दूरी बनाए रखी होगी। यह वरिष्ठ अधिवक्ता से अपेक्षित था, जो किसी भी मामले में, उपरोक्त उद्देश्य के लिए नियुक्त नहीं था। निश्चित रूप से उसे वसीयत पर हस्ताक्षर करने का गवाह नहीं बनना था या वसीयत के निष्पादन या प्रस्तुति के समय उपस्थित सभी लोगों पर नज़र नहीं रखनी थी। स्वर्गीय राजा बहादुर सरदार साहब के लिए दिल्ली के तीस हजारी न्यायालय के परिसर में उनके मौजूद होने मात्र से यह नहीं माना जा सकता है कि उस घटनास्थल पर जो कुछ भी घटित हुआ था, उसे आवश्यक रूप से उसका गवाह बनना था या उसकी पुष्टि करनी थी। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वसीयतकर्ता दोगुना सुनिश्चित होना चाहता था कि रजिस्ट्रार के समक्ष वसीयत का निष्पादन और उसकी प्रस्तुति जमा सुचारू रूप से चले, इसलिए, निष्पादक के पास उसके दोनों सलाहकार मौजूद थे: कानूनी सलाहकार-श्री लतीफी और वित्तीय सलाहकार

और चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री पी.एन. खन्ना, उप-रजिस्ट्रार को वसीयत के निष्पादन और प्रस्तुति के समय उपस्थित थे। इसके अलावा, उक्त तिथि पर अलगाव उस दूरी को ध्यान में रखते हुए भी था जो एक निष्पादक को वसीयत के संबंध में बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

69. इसलिए, इस संबंध में आक्षेपित आदेश के निष्कर्षों को बरक़रार नहीं रखा जा सकता है।

<u>डुप्लीकेट वसीयत को मूल वसीयत नहीं माना जा सकता:</u>

70. प्रोबेट न देने के लिए एक और आक्षेप यह था कि वसीयत और वसीयतनामा जिस पर "नकल" लिखा हो, को मूल वसीयत नहीं माना जा सकता है और इसलिए, यह कानून के अनुसार सिद्ध नहीं है।

71. राजस्थान राज्य के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का कहना है कि प्रोबेट कार्यवाही नकल वसीयत की प्रति के आधार पर नहीं बल्कि केवल मूल वसीयत के आधार पर बरक़रार रखी जा सकती है। जो दाखिल की गई वह नकल वसीयत थी, मूल वसीयत नहीं। उनका कहना है कि कोई भी द्वितीयक साक्ष्य तब तक पेश नहीं किया जा सकता जब तक कि इस बात का कारण स्पष्ट न हो जाए कि प्राथमिक साक्ष्य क्यों उपलब्ध नहीं है। मूल प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण मामला आगे नहीं बढ़ सका।

72. यह तर्क गलत है। याचिकाकर्ता का इरादा प्रोबेट याचिका के साथ संलग्न वसीयत की प्रति को मूल वसीयत की तरह पेश करना नहीं हो सकता क्योंकि मूल वसीयत रजिस्ट्रार के पास एक मुहरबंद लिफाफे में रखी हुई थी।

73. उक्त नकल केवल न्यायालय को यह बताने के लिए प्रस्तुत की गई थी कि समान अंतर्वस्तु वाली एक वसीयत रजिस्ट्रार के पास एक मुहरबंद लिफाफे में जमा कर दी गई है। निःसंदेह, रजिस्ट्रार के पास मुहरबंद लिफाफे में जमा किए गए दस्तावेज़ की कोई प्रमाणित प्रति प्रस्तुत नहीं की जा सकती है।

---

5 यू. श्री बनाम यू श्रीनिवासन एआईआर 2013 एससी 415; बेंगा बेहरा और अन्य बनाम ब्रज किशोर नंदा और अन्य, 2007 9 एससीसी 728: "... 31. जिस दस्तावेज़ पर शीर्षक आधारित है, उसे प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित करना आवश्यक है, और साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 (ग) के तहत द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकता है। धारा 65 का उक्त खंड निम्नानुसार प्रावधान करता है:

—65. (ग) जबकि मूल नष्ट हो गया है या खो गया है अथवा जबकि उसकी अंतर्वस्तु का साक्ष्य देने की प्रस्थापना करने वाला पक्षकार अपने स्वयं के व्यतिक्रम या उपेक्षा से अनुद्भूत अन्य किसी कारण से उसे युक्तियुक्त समय में पेश नहीं कर सकता,

इसलिए, मूल खो गया है यह साबित किया जाना आवश्यक है।

32. इस तरह के किसी मामले में, पहले प्रत्यर्थी के लिए यह अनिवार्य था कि वह सभी उचित संदेहों से परे मूल वसीयत के खो जाने की बात को सिद्ध करे। इस संबंध में उसकी गवाही अपुष्ट रही....."

हालाँकि, रजिस्ट्रार द्वारा मुहरबंद लिफाफे के साथ-साथ दस्तावेज़ को भी न्यायालय द्वारा माँगे जाने पर प्रस्तुत किया जा सकता है। इस आवश्यकता को उचित ठहराने के लिए याचिकाकर्ता ने याचिका के साथ नकल पेश की। यह अपीलार्थी द्वारा दायर अ. आ. सं 7618/1987 द्वारा समर्थित है जिसमें रजिस्ट्रार के पास जमा मूल वसीयत को प्रस्तुत करने की माँग की गई है।

74. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, वसीयत की मूल नकल प्रति याचिका के साथ प्रस्तुत की गई थी और वसीयत एक मुहरबंद लिफाफे में थी, जिसे उपरोक्त आदेश के अनुसार रजिस्ट्रार के कार्यालय से प्रस्तुत किया गया था, जिसे न्यायालय में खोला गया, देखा गया और फिर से सील कर दिया गया। यह अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत वसीयत के समान थी। इसे सावधानी और विवेक के तौर पर वसीयतकर्ता द्वारा रजिस्ट्रार के पास सुरक्षित रखा गया था, ताकि उचित समय पर मूल को उपलब्ध कराया जा सके।

75. रजिस्ट्रार कार्यालय से लाए गए मुहरबंद लिफाफे पर न तो 'डुप्लीकेट' शब्द लिखा है और न ही उससे निकली वसीयत पर। उत्तरवर्ती वसीयतकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित, मुहरबंद और जमा की गई मूल वसीयत थी। वही जिस पर 'नकल' लिखा है की एक समान प्रति निष्पादित की गई और श्री डेनियल लतीफी को सौंप दी गई, जिसने वसीयतकर्ता के निधन उपरांत इसे उचित कार्रवाई के लिए श्री रोमेश थापर को दे दिया। यदि मूल वसीयत पहले से ही रजिस्ट्रार के कार्यालय में रखी गई होती, तो केवल 'नकल' चिह्नित एक समान

प्रतिलेख ही प्रस्तुत किया जा सकता था और इस संबंध में कोई संदेह नहीं हो सकता था। अत: प्रत्यर्थी का तर्क असमर्थनीय है और अस्वीकार किया जाता है।

<u>आक्षेपकर्ताओं द्वारा आक्षेपों को वापस लेने से संबंधित:</u>

76. कुछ आक्षेपकर्ताओं में श्री सुरेंद्र सिंह और श्री राजिंदर सिंह शामिल थे, जो प्रोबेट मामले में वसीयतकर्ता के सजातीय/गोत्रज होने का दावा कर रहे थे। मामले के लंबित रहने के दौरान, उन्होंने अपने आक्षेपों को वापस लेने की माँग करते हुए आदेश XXIII नियम 1 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत आवेदन दायर किए, जिन्हें उनके शपथ पत्रों द्वारा विधिवत समर्थित किया गया था, जिसमें उन्होंने खेतड़ी के स्वर्गीय राजा बहादुर सरदार सिंह की उसी अंतिम वसीयत और वसीयतनामा के निष्पादन और अंतर्वस्तु को स्वीकार किया। शपथपत्र का प्रासंगिक भाग, अन्य बातों के साथ-साथ, इस प्रकार है:-

> *"—6.उपरोक्त स्वीकृति के मद्देनजर, आवेदक-आक्षेपकर्ता दिनांक 06.07.87 को वर्तमान प्रोबेट कार्यवाही में उसके द्वारा दायर की गई आक्षेप याचिका को आगे बढ़ाने में रुचि नहीं रखता है और आवेदक-आक्षेपकर्ता को प्रोबेट/प्रशासन पत्र देने में कोई आक्षेप नहीं है क्योंकि मामला प्रोबेट कार्यवाही के वर्तमान याचिकाकर्ताओं-निष्पादकों के पक्ष में हो सकता है।"*

77. आक्षेपित आदेश में यह संदेहास्पद पाया गया है कि सभी आक्षेपकर्ताओं ने अपने आक्षेपों को वापस ले लिया और यह कि 'इसके पीछे कुछ छिपी ताकतें' थीं। हालाँकि, इन 'संदिग्ध ताकतों' का कभी उल्लेख नहीं किया गया। इसने इस

तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि समय बीतने के साथ, किसी मामले के पक्षों ने मामले को आगे नहीं बढ़ाने के लिए स्वीकार कर लिया होगा या उन्होंने बाद में निष्कर्ष निकाला कि प्रोबेट मामला सच्चा था। यह न्यायालय का काम नहीं है कि वह अँधेरे में तीर चलाए। एक बार जब अशर्त वापसी की माँग करने वाले आवेदनों को राजस्थान राज्य सहित किसी भी पक्ष की ओर से कोई आक्षेप नहीं होने की अनुमति दी गई, तो उसके आधार पर प्रतिकूल निष्कर्ष निकालना संधार्य नहीं होगा।

<u>लिफाफा पेश करना पर्याप्त नहीं हैः</u>

78. इस अपील में पहली बार राजस्थान राज्य ने यह बात कही थी कि वसीयत वाले मूल लिफाफे का केवल कवर प्रस्तुत करना यह साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि वसीयत कानून के अनुसार निष्पादित हुई है।

79. किसी भी स्थिति में, यह विवाद गलत है। वसीयत को विधि के अनुसार निष्पादित किया गया है, अर्थात उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 की आवश्यकताओं के अनुसार, यह पहले से ही अभि.सा.1, अभि.सा.2, अभि.सा.7 के निर्विवाद साक्ष्य द्वारा स्थापित किया गया है, और यहाँ तक कि अभि.सा.3 की गवाही से भी इसकी पुष्टि की गई है। प्रत्यर्थी का तर्क खारिज किया जाता है।

<u>आर.के. सिंह की गवाही:</u>

80. जैसा कि स्पष्ट है, आक्षेपित आदेश का अधिकांश भाग अभि.सा.8, श्री आर.के. सिंह की गवाही पर आधारित है।

81. सबसे पहले, श्री आर.के. सिंह ने गवाही दी है कि वह वसीयतकर्ता या अभि.सा.1 से कभी नहीं मिला। तीन सबूतों से इसे झुठलाया गया है: (i) अभि.सा. 1 की गवाही कि श्री आर.के. सिंह उस समय मौजूद थे जब वसीयतकर्ता द्वारा क्रमशः वसीयत और क्रोड़पत्र निष्पादित किए गए थे, (ii) अभि.सा.2 की गवाही से समरूपी प्रभाव और (iii) वसीयत की अंतर्वस्तु के सह पठित प्र.सा. 7 की गवाही, और वह कवर जिसमें इसे सील किया गया था।

82. लिफाफे के मूल कवर पर श्री पी.एन. खन्ना और वसीयतकर्ता के हस्ताक्षरों के साथ-साथ उनके हस्ताक्षर भी स्पष्ट रूप से हैं। श्री आर.के.सिंह ने श्री पी.एन.खन्ना और वसीयतकर्ता और श्री जी.के.दीक्षित, रजिस्ट्रार के साथ लिफाफे पर हस्ताक्षर किए थे। श्री आर.के. सिंह के हस्ताक्षरों की स्थिति यह लिखे जाने के बाद की है कि इसमें खेतड़ी के स्वर्गीय राजा सरदार बहादुर सिंह, निवासी 5, सरदार पटेल रोड, नई दिल्ली की वसीयत शामिल है जिसकी पहचान श्री पी. एन. खन्ना, सुपुत्र श्री भरत राम, निवासी 14/15-कनॉट प्लेस, नई दिल्ली और श्री आर.के. सिंह, अभिवक्ता द्वारा की गई थी और फिर मुहरबंद लिफाफा स्वयं वसीयतकर्ता ने 30.10.1985 को दिल्ली के तीस हजारी में रजिस्ट्रार के समक्ष जमा किया था। वसीयतकर्ता और श्री जी.के. दीक्षित,

रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर उपरोक्त लेख के नीचे उनके पदनामों के साथ लगाए गए थे और दो गवाहों के हस्ताक्षर मुहरबंद कवर के किनारे पर हैं।

83. निश्चित रूप से, श्री आर.के.सिंह (प्र.सा.8) तब तक उस पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते थे जब तक कि लेख वसीयतकर्ता द्वारा या उसकी ओर से लिखा और हस्ताक्षरित नहीं किया गया हो। इसके अलावा, रजिस्ट्रार ने तब तक इस पर हस्ताक्षर नहीं किया होगा जब तक गवाहों द्वारा वसीयतकर्ता की पहचान नहीं कर ली गई हो। कानून में माना जाता है कि उनमें से प्रत्येक को वसीयतकर्ता की वसीयत वाले मुहरबंद कवर को प्रस्तुत करने के समय रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित होना चाहिए।

84. रजिस्ट्रार कार्यालय के अभिलेख से पता चलता है कि श्री आर.के. सिंह (प्र.सा.8) रजिस्ट्रार के कार्यालय में उपस्थित थे। वह एक अधिवक्ता था और उम्मीद की जाती है कि जिस दस्तावेज़ पर वह हस्ताक्षर कर रहा था, उसे उसके बारे में जानकारी होगी। इसके विपरीत उसकी गवाही तब और ज्यादा संदेहास्पद हो जाती है जब वह इस सवाल का जवाब "नहीं" में देता है कि "क्या आप हस्ताक्षर करने से पहले पेपर पढ़ते हैं?"

85. वसीयत के तीनों पन्नों पर श्री आर.के. सिंह के हस्ताक्षर हैं। प्रत्येक पन्ने पर, वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर संभवतः स्वयं वसीयतकर्ता द्वारा रेखांकित किए गए थे और उसके बाद ही श्री आर.के. सिंह ने दस्तावेज़ पर दूसरे गवाह के रूप में हस्ताक्षर किए थे। दस्तावेज़ स्पष्ट रूप से वसीयतकर्ता की 'अंतिम वसीयत

और वसीयतनामा' के रूप में पढ़ा जाता है। कोई भी अधिवक्ता किसी दस्तावेज़ पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करता जब तक कि उसे पूरी तरह पता न हो कि उस दस्तावेज में क्या लिखा है। न्यायालय ने पाया कि दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने के संबंध में श्री आर.के. सिंह का बयान अविश्वास पैदा करता है। उक्त बयान, अन्य बातों के साथ-साथ, इस प्रकार है:

> *—प्रतिपरीक्षा प्रश्न - क्या आपने हस्ताक्षर करने से पहले कोई कागज़ पढ़ा था?*
>
> *उत्तर. नहीं'*
>
> *****
>
> *मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि मैं जिस दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ वह किस तरह का है। मैंने इस बारे में कोई पूछताछ नहीं की कि जिस दस्तावेज़ पर मैं हस्ताक्षर कर रहा हूँ वह किस तरह का दस्तावेज़ है। श्री लतीफी ने मुझसे सरदार पटेल मार्ग जाकर उन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा जो भी मुझसे हस्ताक्षर करने के लिए कहे जायें।*
>
> *प्रतिपरीक्षा प्रश्न - क्या आपके मन में यह ख्याल आया था कि आप किसी ऐसे दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर कर रहे हैं जिसका इस्तेमाल आपके विरुद्ध किया जाएगा?*
>
> *उत्तर -नहीं।*

86. विल के निष्पादन और जमा होने के संबंध में दो गवाहों की गवाही प्रतिपरीक्षा में निर्विवाद हो गई है। लगभग 8 वर्षों का अनुभव रखने वाले अधिवक्ता श्री आर.के. सिंह जो भारत के विधि आयोग, कानून और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार में दो साल बाद एक सहायक अधिकारी के रूप में काम कर रहे थे, और जो उस समय कृषि मंत्रालय, भारत सरकार में एक कनिष्ठ विधि अधिकारी के रूप में काम कर रहे थे जिनकी गवाही बिल्कुल भी विश्वास उत्तपन नहीं करती है। यह समझना मुश्किल है कि किसी अधिवक्ता ने किसी दस्तावेज हस्ताक्षर किए होंगे और फिर उस लिफाफे पर भी पर उसकी अंतर्वस्तु जाने बिना हस्ताक्षर किए होंगे जिसमें दस्तावेज मुहरबंद था या उससे भी बुरा जब उस दस्तावेज की अंतर्वस्तु किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कथित तौर पर छुपाई गई हो।

87. यह बयान कि वह उस व्यक्ति से संबंधित था जिसने वसीयतकर्ता की विल का मसौदा तैयार किया था और वसीयतकर्ता ने उससे उस पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा था, उसे यह कहने का अधिकार नहीं देता उसने वसीयतकर्ता को दस्तावेज पर हस्ताक्षर करते नहीं देखा था, और न ही अभि.सा.1 ने इस तरह की गवाही दी थी। एक अधिवक्ता हर वक्त अपनी स्वतंत्रता और व्यक्तित्व बरकरार रखता है और समाज का एक विशेषाधिकार प्राप्त सदस्य होता है। यह तो समझ से परे है कि एक अधिवक्ता, जिसके पास लगभग आठ वर्षों का अनुभव है, बिना यह जाने कि उनमें क्या लिखा है, किसी दस्तावेजों

पर अपने हस्ताक्षर कर देगा। रजिस्ट्रार के अभिलेख से यह साफ पता चलता है तीन संबंधित गवाह, एक तो वसीयतकर्ता और दो गवाह, अर्थात् श्री पी.एन. खन्ना (अभि.सा.1) और श्री आर.के. सिंह (प्र.सा.8) रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित थे। यह मानने के बाद, श्री आर.के. सिंह का वसीयत के सत्यापन में अपने हस्ताक्षरों से मुकरना कम से कम अजीबों-गरीब तो है। इससे सिर्फ एकमात्र अनुमान यही लगाया जा सकता है कि श्री आर.के. सिंह गवाही देने के लिए अनिच्छुक थे जिसका कारण केवल वो ही जानते होंगे क्योंकि वह कई बार तलब करने के बाद ही उपस्थित हुआ था। उनकी अनिच्छा का कारण क्या है, यह न्यायालय के विचारण का विषय नहीं है।

88. श्री आर.के. सिंह एक अधिवक्ता थे और उन्होंने उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लतीफी के साथ काम किया था। श्री लतीफी ने 1985-86 में एक विल पर काम करने के लिए 1000 रुपए का बिल बनाया था। उन्होंने विशेष रूप से विधि आयोग में काम किया और उन्हें कृषि मंत्रालय में कनिष्ठ विधि अधिकारी के रूप में चुना गया। उनकी पृष्ठभूमि के व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाएगी कि उनके पास उचित विधि अनुभव हो और वह आंख मूंदकर किसी कागजात पर हस्ताक्षर न करे, खासकर तब जब उन्हें उप-रजिस्ट्रार के समक्ष पेश होना हो।

89. श्री आर.के. सिंह की गवाही और भी संदेहास्पद है क्योंकि उन्होंने गवाही तो दी थी कि श्री लतीफी ने उन्हें विल का मसौदा तैयार करने का काम नहीं

सौंपा और श्री लतीफी ने विल का मसौदा तैयार करने के लिए उसे 1000/- रुपए की राशि का भुगतान भी नहीं किया इसका खंडन दो दस्तावेजों यानी श्री आर.के. सिंह की सहायता के लिए वसीयतकर्ता को श्री लतीफी द्वारा दिए गए 1000 रुपए के बिल और एक चेक द्वारा श्री आर.के. सिंह को उक्त राशि के भुगतान के प्रस्तुत होने से हो गया। वसीयतकर्ता के लिए बनाया गया बिल एक समकालीन दस्तावेज था और वसीयतकर्ता की मृत्यु से पहले दिया गया था। श्री लतीफी ने यह साबित कर दिया था कि उन्होंने उपरोक्त कार्य के लिए श्री आर.के. सिंह को चेक द्वारा भुगतान किया था। इस संबंध में उनकी गवाही इस प्रकार है:

> *"—....प्र. क्या आपने खेतड़ी के राजा सरदार बहादुर सिंह साहब की विल तैयार करने में (श्री आर.के. सिंह) से मदद माँगी थी?*
>
> *उत्तर- हां। मैंने विल का मसौदा तैयार करने के साथ-साथ उसके सुलिपिकरण और उसे निष्पादित करने में भी उसकी सहायता माँगी।*
>
> *प्र. जब आपने उपरोक्त कार्य के लिए अपना बिल खेतड़ी के राजा को भेजा तो क्या आपने श्री आर.के. सिंह, अधिवक्ता का बिल शामिल किया था?*
>
> *उत्तर: हाँ। किया था। ली गई फीस लगभग 1000/- रुपये थी जिसका भुगतान मैंने श्री आर.के. सिंह को चेक द्वारा किया। मैं अपनी चेकबुक का काउंटर-फ़ॉइल लाया हूँ। यह चेक सं. 803827 है, यह दिनांक 12 मार्च, 1986, को यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, उच्चतम न्यायालय कंपाउंड, नई दिल्ली पर जारी किया गया। मैंने बिल प्रदर्श RW.8/P-A भेज दिया है। इसमें मेरी हैन्ड्राइटिंग है और इस पर मेरे हस्ताक्षर हैं। इस बिल का भुगतान खेतड़ी के राजा ने किया था। मुझे लगता है कि श्री आर.के. सिंह इसी काम के सिलसिले में खेतड़ी के राजा से मिलने गये*

थे। उसका भुगतान बकाया था और वह सामान्य तौर पर उनसे मिलने जरूर गया होगा..."

90. विशेष रूप से, श्री आर.के. सिंह को भुगतान के संबंध में श्री लतीफी की प्रतिपरीक्षा नहीं की गई।

91. इस न्यायालय की राय में, श्री आर.के. सिंह की गवाही एक उचित व्यक्ति के सभी तर्काधार और तर्क के विपरीत होने के कारण पूरी तरह संदेहजनक है। किसी भी स्थिति में, यह निजी और सरकारी गवाहों के मौखिक और दस्तावेजी दोनों तरह के अविवादित साक्ष्यों पर अविश्वास करने का आधार नहीं हो सकता है। श्री आर.के. सिंह की गवाही अभिलेख पर रखी सामग्री को आक्षेपित नहीं कर सकती है।

92. हमारे विचार में, आक्षेपित आदेश ने श्री आर.के. सिंह की गवाही पर अत्यधिक भरोसा करने में और उसी पर भरोसा करके अभि.सा.1, अभि.सा.2 और सबसे महत्वपूर्ण, प्र.सा.7 की गवाही को पूरी तरह से रद्द करने में गलती की है क्योंकि प्रतिपरीक्षा में इन सभी गवाहियों पर संदेह नहीं किया गया।

<u>संदेहास्पद परिस्थितियाँ:</u>

93. आक्षेपित आदेश में कुछ कथित संदिग्ध परिस्थितियों का संदर्भ लिया गया है। ये कौन सी परिस्थितियाँ हैं इसका पर्याप्त विवरण नहीं दिया गया है। ***मूर्ति बनाम सी. सारदाम्बल (2022) 3 एससीसी 209*** में, उच्चतम न्यायालय ने संदिग्ध परिस्थितियों के कुछ उदाहरण इस प्रकार रखे हैं:

35. भरपुर सिंह और अन्य बनाम शमशेर सिंह [2009 (3) एससीसी 687] में, पैरा 23 में, इस न्यायालय ने कुछ संदिग्ध परिस्थितियों का, उदाहरणात्मक रूप में, लेकिन संपूर्ण नहीं, निम्नलिखित तरीके से वर्णन किया है:-

"23. विल के निष्पादन में निम्नलिखित जैसी संदिग्ध परिस्थितियाँ पाई जा सकती हैं:

(i) वसीयतकर्ता का हस्ताक्षर बहुत अस्थिर और संदिग्ध हो सकता है या उसके सामान्य हस्ताक्षर से अलग लग सकता है।

(ii) संबंधित समय पर वसीयतकर्ता के दिमाग की स्थिति बहुत कमजोर और दुर्बल हो सकती है।

(iii) किसी भी कारण के बिना स्वाभाविक वारिसों के लिए पर्याप्त प्रावधानों के छोड़ाव या अनुपस्थिति जैसी प्रासंगिक परिस्थितियों के आलोक में यह स्थिति अप्राकृतिक, असंभव या अनुचित हो सकती है।

(iv) ऐसा प्रतीत नहीं हो सकता है कि यह स्थिति वसीयतकर्ता की स्वतंत्र इच्छा और दिमाग का परिणाम है।

(v) प्रस्तावक विल के निष्पादन में प्रमुख भूमिका निभाता है।

(vi) वसीयतकर्ता कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करता था।

(vii) विल लंबे समय तक प्रकट नहीं की गई।

(viii)आवश्यक तथ्यों का गलत उल्लेख।"

37. नरंजन उमेशचंद्र जोशी बनाम मृदुला ज्योति राव [(2006) 13 एससीसी 433] में, पैरा 34 से 37 में, इस न्यायालय ने निम्नानुसार देखा है: -

"34.ऐसी कई परिस्थितियाँ हैं जिन्हें इस न्यायालय ने संदिग्ध परिस्थितियों के रूप में वर्णित किया है:

(i) जब वसीयतकर्ता द्वारा विल पर हस्ताक्षर करने के बावजूद उसकी मानसिक स्थिति के संबंध में कोई संदेह पैदा हो जाता है;

(ii) जब प्रासंगिक परिस्थितियों के आलोक में स्थिति अप्राकृतिक या पूर्णतया अनुचित प्रतीत होती है;

(iii) जहाँ प्रस्तावक स्वयं वसीयत के निष्पादन में प्रमुख भूमिका निभाता है, जिससे उसे पर्याप्त लाभ मिलता है..."।

94. ***लाविनिया मसग्रोव (1927) पी. 264*** की संपत्ति में अपील न्यायालय द्वारा, एक संदिग्ध परिस्थिति क्या होती है, इस पर विचार किया गया था। यह मामला उस विल से संबंधित है जिसे निष्पादक, जो माँ और विल की एकमात्र लाभार्थी भी थी, ने लगभग 20 वर्षों तक प्रकट नहीं किया। निम्नलिखित कारणों से इसे संदेहास्पद स्थिति नहीं माना गया:

"...
विल माँ और निष्पादिका की अभिरक्षा में रखी गई थी। विल, या इसकी शर्तों से जुड़ा कोई संदेह नहीं है। यदि 1905 में लाविनिया की मृत्यु के तुरंत बाद विल तैयार की गई होती तो इसमें कोई आक्षेप नहीं होता।
न्यायाधीश ने जिस संदेह का उल्लेख किया है, वह एम्मा मर्सी डनमॉल के आचरण और विल को आगे बढ़ाने के प्रति उसके संयम के बारे में संदेह है। लेकिन अगर विल कभी त्रुटिहीन थी तो इसका निपटान नहीं किया जा सकता, सिवाय प्रतिसंहरण करने के अधिकृत तरीकों में से एक के द्वारा : विल अधिनियम की धाराएँ 18, 19 और 20 देखें।
.....
यदि यह जब एक विल थी और इस रूप में इसे निष्पादिका की अभिरक्षा में सौंप दिया गया था- और इसके समर्थन में वसीयतकर्त्री द्वारा कोई अधिक प्रभावी कार्य नहीं किया जा सकता था- यह उसकी विल बनी रहती है और बाद में निष्पादक का कोई भी आचरण इसके प्रभाव को नहीं रोकेगा। न्यायाधीश इस बात को मान गए थे कि लाविनिया दस्तावेज़ को पूरी तरह से भूल गई थी। भूलने की बीमारी- भले ही आश्चर्यजनक हो- एम्मा मर्सी डनमॉल की निष्क्रियता को समझा सकती है। इस निष्क्रियता को और अधिक महत्व देना मुझे केवल अनुमान से उत्पन्न एक उपधारणा पर कार्य करना प्रतीत होता है।

*....संदेह का क्या? ऐसा नहीं है कि यह स्वयं दस्तावेज़ से जुड़ा हुआ है, जिसके आशय में सर जेम्स वाइल्ड **गार्डहाउस बनाम ब्लैकबर्न** में इस शब्द का उपयोग करते हैं, या जैसा कि विल की तैयारी में टायरेल बनाम पेंटन में उत्पन्न हुआ था। टायरेल बनाम पेंटन के मामले में लिंडले एल.जे. द्वारा बताई गई संदेह की विस्तृत परिभाषा है कि यह "उन सभी मामलों पर लागू होता है जिनमें ऐसी परिस्थितियाँ मौजूद हैं जो न्यायालय को संदेह का अवसर देती हैं," ऐसा प्रतीत होता है कि इसका उपयोग विल की तैयारी, इसकी आंतरिक शर्तों और इसकी तैयारी और निष्पादन के आसपास की परिस्थितियों के संदर्भ में किया गया है और लगता है कि डेवी एल.जे. का भी ऐसा ही विचार था। उनके निर्णयों का उद्देश्य बाद में निर्णय देना नहीं था, बल्कि मेरे द्वारा उद्धृत मामलों में निर्धारित सिद्धांतों की पुष्टि करना था। यह लिंडली एल.जे. ने हैरिस बनाम नाइट में जो कहा था, उसमें कोई बदलाव नहीं करते हैं।*

प्राधिकारियों पर सावधानीपूर्वक विचार करने और बैरी बनाम बटलिन तथा गार्डहाउस बनाम ब्लैकबर्न में बताए गए नियमों का पालन करने के बाद, मेरी राय है कि वादी को इस उक्ति को दस्तावेज़ के पक्ष में, प्रारूप में पूर्ण, प्रयोजन में असाधारण रूप से लागू करने का अधिकार है जिसके बारे में बाद की तारीख तक कोई संदेह पैदा नहीं किया जा सकता है, और वह विल, या वसीयतकर्त्री से नहीं, बल्कि निष्पादिका से जुड़ा है।

यह संदेह है कि बाद में कोई ऐसी स्थिति रही होगी, जिसके तहत एक वैध वसीयतनामा दस्तावेज़ प्रभावी नहीं रह गया। ऐसा प्रतीत होता है कि इसे साबित करने का भार प्रोबेट मिलने के विरोधी पर है, क्योंकि एक बार जब यह साबित हो जाता है कि विल को विधिवत निष्पादित किया गया, तो इसके प्रतिसंहरण साबित करने का भार इसे प्रतिसंहरण करने वालों पर पड़ता है और इसे साबित करने वाले साक्ष्य के अभाव में, प्रतिसंहरण नहीं माना जाएगा। यह बेन्सन बनाम बेन्सन मामले में लॉर्ड पेन्जांस द्वारा निर्धारित किया गया है।

अब विल की तैयारी या अंतर्वस्तु में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह संदेह पैदा हो कि इसमें वसीयतकर्त्री के विचारों को व्यक्त नहीं किया गया है। एकमात्र विशेषता बाद का तथ्य यह है कि वसीयतकर्त्री की मृत्यु की जानकारी के बाद कई वर्षों तक, निष्पादिका ने विल साबित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, जिससे उसकी बेटियों को बड़े

लाभ हुए। मैं नहीं सोच सकता कि यह तथ्य टायरेल बनाम पेंटन या पिछले समान मामलों के तथ्यों के अनुरूप है, या यह ऐसे निष्कर्ष को उचित ठहराता है जैसा कि वहाँ निकाला गया था।
दस्तावेज़ में कुछ हारने की जानकारी के लिए निष्पादिका की निष्क्रियता को जिम्मेदार ठहराने में विद्वान न्यायाधीश, मेरे निर्णय में, केवल अनुमान लगा रहे थे...।"

95. श्री परमेश्वर प्रसाद द्वारा वसीयतकर्ता को गुमराह करने की संभावना अविश्वसनीय नहीं तो अत्यधिक असंभावित है क्योंकि वसीयतकर्ता विधान सभा के सदस्य रहे थे, इन्होंने भारतीय संविधान के प्रारूपण में सहायता की थी, ये संसद के सदस्य रहे थे, लाओस में भारत के राजदूत के रूप में एक राजनयिक थे, ये सुशिक्षित थे, और इन्हें वरिष्ठ विधि व्यावसायिक और एक अग्रणी चार्टर्ड एकाउंटेंट की सलाह और सहायता का लाभ मिला, ये भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशक भी थे और कई अन्य व्यावसायिक और धर्मार्थ संगठनों के बोर्ड में भी शामिल थे, इस पर पहले ही यहाँ चर्चा की जा चुकी है। इससे कोई संदेहजनक स्थिति पैदा नहीं होती है। ऊपर यह भी उल्लेख किया गया है कि आक्षेपकर्ताओं द्वारा अपने आक्षेपों को वापस लेने के लिए कारण न बताना एक संदिग्ध परिस्थिति नहीं पैदा कर सकता क्योंकि विवेक, अच्छी समझ और सच्चाई किसी भी समय किसी व्यक्ति में आ सकती है। दरअसल, कभी-कभी, समय बीतने के साथ, चीज़ें एक बदले हुए परिप्रेक्ष्य में दिखाई देती हैं और यह संभव है कि आक्षेपकर्ताओं को प्रोबेट याचिका पर अपने आक्षेपों को आगे न बढ़ाने का अच्छा कारण नज़र आ गया हो। यह जाँच करना न्यायालय का काम नहीं है कि ये कारण क्या थे।

96. श्री गोकुल आनंद से पूछताछ न किये जाने से कोई संदेहास्पद स्थिति पैदा नहीं हुई। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, आक्षेपकर्ताओं ने श्री गोकुल आनंद को गवाह के रूप में बुलाने की माँग की थी, उनके अनुरोध को विद्वान विचारण न्यायालय ने स्वीकार कर लिया था, लेकिन अपीलार्थी द्वारा दायर अपील में खंडपीठ द्वारा इसे खारिज कर दिया गया था। इससे यह निर्णायक रूप से पता चलता है कि श्री गोकुल आनंद से पूछताछ न होना किसी भी प्रतिकूल निष्कर्ष का आधार नहीं हो सकता या संदिग्ध परिस्थिति नहीं माना जा सकता। इसलिए, श्री गोकुल आनंद का संदर्भ अनावश्यक और निरर्थक है। विशेष रूप से, आक्षेपकर्ताओं ने दिनांक 24.09.1988 को गवाहों की सूची में श्री गोकुल आनंद का उल्लेख नहीं किया था। अपीलार्थी की गवाही पूरी होने के बाद ही श्री गोकुल आनंद से पूछताछ की माँग की गई। आक्षेपकर्ता के आवेदन को सही तरीके से खंडपीठ ने खारिज कर दिया।

<u>निष्कर्षः</u>

97. पिछली चर्चा से जो निकलता है वह यह है कि वसीयतकर्ता द्वारा दिनांक 13.10.1985 को दो गवाहों, श्री पी.एन. खन्ना और श्री. आर.के. सिंह की उपस्थिति में तीस हजारी में एक विल निष्पादित की गई थी। इस प्रकार उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 का अनुपालन सिद्ध होता है। उक्त दस्तावेज़ को एक लिफाफे में सील कर दिया गया था और रजिस्ट्रार को इस पृष्ठांकन के साथ प्रस्तुत किया गया था कि इसमें वसीयतकर्ता की अंतिम

विल और वसीयतनामा शामिल है, जिसकी पहचान श्री पी.एन. खन्ना और श्री आर.के. सिंह द्वारा की गई थी। उक्त लिफाफे पर वसीयतकर्ता और रजिस्ट्रार दोनों के हस्ताक्षर थे। यह एक स्पष्ट कथन है कि लिफाफे में उक्त दस्तावेज था और रजिस्ट्रार के समक्ष दो गवाहों द्वारा वसीयतकर्ता की पहचान की गई है। इसमें विल साबित करने में साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 का अनुपालन भी शामिल है। जब मूल विल को खोलकर देखा गया तो उसमें वसीयतकर्ता के साथ-साथ विल के तीनों पन्नों पर उपरोक्त दो गवाहों के हस्ताक्षर भी थे। श्री पी.एन. खन्ना की गवाही, उनकी उपस्थिति में और साथ ही तीस हजारी न्यायालय परिसर, दिल्ली में श्री आर.के. सिंह की उपस्थिति में, विल के निष्पादन से संबंधित है जिसका खंडन नहीं किया गया है। जहाँ तक श्री आर.के. सिंह का सवाल है, एक धारणा यह है कि वह रजिस्ट्रार के कार्यालय में मौजूद था और उसने उक्त निष्पादन की पूरी प्रक्रिया देखी थी, और रजिस्ट्रार के समक्ष विल के वसीयतकर्ता की पहचान भी की थी और उसने गवाही में कहा, उसने मुहरबंद लिफाफे पर हस्ताक्षर किए थे, जिसे रजिस्ट्रार के पास जमा कर दिया गया था।

98. श्री लतीफी से पैसे न मिलने के संबंध में उनकी गवाही श्री लतीफी की गवाही और उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों द्वारा खंडित है। श्री आर.के. सिंह को किया गया भुगतान चेक बुक के काउंटर-फ़ॉइल में दर्ज किया गया था जिसे श्री लतीफी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में न्यायालय में लाया गया।

99. जैसा कि यहाँ ऊपर उल्लेख किया गया है, प्रोबेट को अस्वीकार करने का आधार भरोसा न करने लायक गवाह, अर्थात श्री आर.के. सिंह की गवाही नहीं हो सकता है। किसी भी स्थिति में, जब उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 की अपेक्षाओं का अनुपालन सिद्ध हो जाए और विल व कोडिसिल का प्रमाण साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के अनुसार है तो इस न्यायालय द्वारा वसीयतनामा मामला सं. 26/1987 को अनुमति देने पर कोई रोक नहीं है।

100. पिछली चर्चा से, यह स्पष्ट रूप से स्थापित है कि विल स्वर्गीय राजा बहादुर सरदार साहब ने निष्पादित की थी और यह विधिवत सिद्ध है। इन परिस्थितियों में, आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया जाता है और लॉर्ड नॉर्थब्रुक को प्रोबेट प्रदान किया जाता है। आ.प्र.अ.(मू.प) 348/2012 को उपरोक्त शर्तों के अनुसार अनुमति दी जाती है और उसका निपटान किया जाता है।

101. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, आ.प्र.अ.(मू.प) 347/2012 और आ.प्र.अ.(मू.प) 211/2013 निष्फल हैं और तदनुसार इनका निपटान किया जाता है।

102. इन परिस्थितियों में, पक्षकार अपना खर्च स्वयं वहन करेंगे।

न्या. नजमी वज़ीरी,

न्या. विकास महाजन

11 जुलाई, 2023

केके/एसबी

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*